

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.889 OF 2022

IN THE MATTER OF :

JEETU YADAV

....Appellant

Versus

UTTAR PRADESH CONTROL BOARD
& ORS.

....Respondent(s)

INDEX

| S.NO | PARTICULARS | PAGE NO. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Action Taken Report in compliance with the order dated 21.12.2023 | 3- 7 |
| 2. | A true copy of the re-inspection of 26 brick kilns is annexed herewith as Annexure - 1. | 8-49 |
| 3. | A true copy letter is annexed here as ANNEXURE - 2. | 50-53 |
| 4. | A true copy of the said letters dated 02.01.2023 is annexed here as ANNEXURE - 3. | 54 |
| 5. | The true copy of the Joint inspection report has been attached herein as ANNEXURE - 4. | 55-185 |
| 6. | (Photocopy of RC Form 36 attached). A True copy is annexed here as ANNEXURE- 5. | 186-188 |

728




Applicants

Through

Date:

Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI & ASSOCIATES

F -13, GROUND FLOOR

JANGPURA EXTENSION, NEW

DELHI

Email: Advpriyankaswami@gmail.com

Mob: 8800656660

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 889 OF 2022

IN THE MATTER OF :

JEETU YADAV

.....Appellant



Versus

**U.P STATE POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS.**

....Respondent(s)

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DATED 21.12.2023.**

1. I, Ravinder Kumar Mander, s/o Chandan Lal Mecna, aged about 35 years, posted as District Magistrate of Rampur, Uttar Pradesh. do hereby solemnly affirm and state an oath as under: That I am duly authorized and competent to affirm the present affidavit on behalf of District Rampur, which has been prepared based on my official records and under my instructions. ✓


Deponent/Declarant



2. I am fully conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the records maintained in the office to enable me to file the present Affidavit on behalf of the District Rampur. ✓
3. That the respondent district Rampur was directed to file a report-vide order dated 06.10.2023, which was not duly complied with, I tender my unconditional apologies for not being able to connect properly through video conference, and also my compliance report was not properly filed and therefore was not mentioned on record. This was neither intentional nor deliberate rather it was due to miscommunication on the part of the regional officer, UPPCB Moradabad, due to which the inconvenience was caused to this Hon'ble Tribunal. ✓
4. That the deponent took immediate action to confirm the compliance and a fresh physical inspection took place, 26 illegal brick kilns were served with closure orders were revisited and photographs were taken to confirm the compliance. A true copy of the report dated 21.12.23 re-inspection of 26 brick kilns is annexed herewith as ANNEXURE - 1.
5. Thereafter, on 21.12.2023, the ADM F/R Rampur wrote a letter to Regional Officer UPPCB, to issue recovery certificates to these 26 illegal brick kilns. A true copy is annexed here as ANNEXURE - 2. ✓
6. Further, it is pertinent to mention here that despite the earlier letter dated 21.12.2023, the UPPCB did not issue the RC, therefore, the deponent wrote a letter to the member secretary, UPPCB on 28.12.2023. Due to his persistent efforts the 10 RCs were received on 01.01.2024 and the remaining 16 RCs on 02.01.2024. A true copy of ✓

Deponent/Declarant

✓




the said letter to MS,UPPCB dated 28.12.2023 is annexed here as ANNEXURE - 3. ✓

7. That a joint inspection took place on 02.01.2024 by the joint board comprising All SDM's, Rampur, and the Regional Officer, UPPCB Moradabad, in compliance with the order dated 21.12.2023 passed in the above - captioned matter by Hon'ble National Green Tribunal. Every Brick Kilns was duly inspected and was made sure they had completely stopped working. All Tehsildar of concerned Tehsils also sent the notice of 15 days under RC Form 36 to the respective brick kilns for recovery. The true copy of the Joint inspection report has been attached herein as ANNEXURE - 4. ✓
8. That it is respectfully submitted that all 26 Illegal Brick Kilns were served with the notice under Revenue Provisions in compliance with Recovery Certificates provided by UPPCB. Respective Kilns have been directed that Kilns should not be operated under any circumstances without obtaining permission, as well as environmental compensation has to be paid, by them within the stipulated time period of 15 days and the same shall be recovered by the concerned revenue officials. ✓
9. That it is to be noted that the process of recovery of the outstanding amount from the concerned persons operating the illegal brick kilns has been started. Under this recovery process the concerned Tehsildars/SDM's are directed to make the recovery as per rules from the said 26 illegal Brick Kilns and report compliance. ✓

Deponent/Declarant



10. It is submitted that Rs 2 lakh has been recovered from ANS Brick Works Ranuangala, the receipt of which has also been attached and presented. The pollution control board had sent 10 Recovery Certificates on 01.01.2024 and 16 Recovery Certificates on 02.01.2024. The rest have been served notices to leave. True copy of the payment receipt is annexed here as ANNEXURE- 5.
11. It is therefore submitted that it is clear from the above annexure that all the 26 brick kilns of Rampur district are already closed and even at present they are not being operated nor is the work of beating raw bricks and storing fuel like coal, wood in the brick kiln. Brick kiln production work has completely stopped.
12. That it is submitted the order passed by the Honorable National Green Tribunal, New Delhi is being complied with. That the entire district administration has been directed to keep a vigilant eye on the area and ensure that the said brick kilns are not allowed to operate. Also order passed by the Hon'ble Tribunal shall be compiled in full letter and spirit.
13. That in compliance with the order dated 21.12.23 this short affidavit has been submitted accordingly.



DEPONENT

Deponent/Declarant

VERIFICATION:-

Verified at Rampur, on this 05 day of Jan, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. ✓

Deponent/Declarant

DEPONENT

Through:

Priyanka Swami

PRIYANKA SWAMI
Advocate

Standing Counsel, State of U.P.
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com,
M:8800656660



S.No. (8) Date 05.01.24
I certify that Shri. Ravinder Kumar Mauder
Identified by Shri. Priyanka Swami
wrote and/or affirmed the contents of (del)
this affidavit to be true in my presence.
on this 05.01.24
at Rampur, U.P. 10/18
after being read and explained.

[Signature]
NOTARY
RAMPUR U.P. 05.01.24

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

दिनांक:-21 दिसम्बर, 2023

पत्रांक-1276 /खनिज/2023-24

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या
889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के
अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें जनपद मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा व रामपुर में अवैध रूप से चलने वाले ईट भट्टों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं।

1- उक्त के अनुपालन में उप जिलाधिकारी टाण्डा, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद व सदर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद से आख्या प्राप्त की गयी जो निम्नवत् हैं :-
(1)- उप जिलाधिकारी बिलासपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील बिलासपुर में 04 ईट भट्टे अंकित हैं जो पूर्व से ही बन्द हैं तथा वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफस संलग्न हैं और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | शान ब्रिक फील्ड (न्यू नेम इण्डिया ब्रिक इंडो) अंडखेड़ी बिलासपुर, रामपुर | श्री मिराज अली- 9759670440 | पूर्व से बन्द है तथा वर्तमान में भी बन्द है। |
| 2 | गुरुनानक ब्रिक वर्क्स (ओल्ड ने ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड) नरसुआ, बिलासपुर रामपुर। | श्री बूटा सिंह- 9837322555 | पूर्व से बन्द है तथा वर्तमान में भी बन्द है। |
| 3 | कुबरा ब्रिक फील्ड (न्यू नेम शादाब ब्रिक फील्ड एण्ड ओल्ड नेम मोमीन ब्रिक वर्क्स) पजाबा बिलासपुर, रामपुर | श्री अब्दुल कलाम- 9690605457 | पूर्व से बन्द है तथा वर्तमान में भी बन्द है। |
| 4 | न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी, बिलासपुर, रामपुर | श्री जुल्फिकार अहमद- 9411353954 | पूर्व से बन्द है तथा वर्तमान में भी बन्द है। |

(2)- उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील सदर में 01 ईट भट्टा अंकित है जो वर्तमान समय में संचालित नहीं हैं। मौके पर बन्द हैं जिसके फोटोग्राफस संलग्न हैं और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | राजा ब्रिक वर्क्स (ओल्ड नेम एस.एस. ब्रिक वर्ल्ड एण्ड ख्याजा गरीब नवाज इंडो), ग्राम मेंहदीनगर जनूवी, तहसील सदर, रामपुर | मौ० फारुख, मौ० रउफ मौ० 7819954403 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

(3)- उप जिलाधिकारी शाहबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील शाहबाद में 12 ईट भट्टे अंकित हैं जो पूर्व से बन्द चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफस संलग्न हैं और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वर्क्स) ग्राम देवीपुरा रोड बड़ागांव, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर। | श्री विजय सिंह- 7895875224 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 2 | फेमस त्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा त्रिक वर्क्स) ग्राम खरसौल, तहसील शाहबाद जनपद रामपुर | श्री जाबिर अली-9027567911 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 3 | जगदम्बे त्रिक वर्क्स ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री मस्तराम पाण्डेय- 7500799356 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 4 | खान त्रिक वर्क्स ग्राम बलूपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर | श्री नदीम खान-9756577865 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 5 | हिदाया त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुशीद विक फील्ड), ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री खुशीद अहमद-7310742423 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री फुरकान पाशा-9719561462 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 7 | फार्मर त्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम करीमगंज, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री आरिफ मियां-9068416750 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 8 | के0के0 त्रिक वर्क्स, ग्राम ढकिया रोड, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर। | श्री राशिद खां-9412871791 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 9 | ओमेश त्रिक वर्क्स, ग्राम चौकोनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजपाल यादव-6396353961 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 10 | पवन त्रिक वर्क्स, ग्राम बलुपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री अजय- 7895875224 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड, ग्राम सुहावा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री दिलशाद खां-9891146829 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 12 | शबाना त्रिक फील्ड, ग्राम सैफनी तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजू चौधरी-8218371402 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |

(4) - उप जिलाधिकारी टाण्डा द्वारा अपनी आस्था दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील टाण्डा में 06 ईट भट्टा अंकित है जो पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा

वर्तमान समय म भा संचालित नहा ह। माक पर बन्द है जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न ह आर 144र००
निम्नवत् है :-

736

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | ए०एन०एस० ब्रिक वर्क्स ग्राम रनुआनगला तहसील टाण्डा जिला रामपुर | श्री आजम 7351281035 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 2 | गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स, ग्राम मिलक नगली, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री वजाहत जान खां 9411288099 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 3 | हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) ग्राम सरावा सैदनगर, तहसील टाण्डा जिला रामपुर। | श्री मुनसाद हाजी 9719657522 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 4 | नाज़ ब्रिक वर्क्स, ग्राम दर्शनपुर लालपुर रोड, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री अफसर अली 8881822485 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 5 | ओ०के०ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | मौ०समी 9358457801 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | श्री वासिद 9917069755 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

(5)- उप जिलाधिकारी मिलक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील मिलक में 03 ईट भट्टा अंकित है जो वर्तमान समय में संचालित नहीं है और पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | जय श्री बाला जी ब्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्रीमती तुलका देवी, 6396247831 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 2 | कुनाल ब्रिक वर्क्स, ग्राम कमचा तहसील मिलक जिला रामपुर | श्री बब्लू पाण्डेय, 9412153741 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 3 | आका ब्रिक सेन्टर न्यू नेम तहसील ब्रिक सेन्टर, ग्राम चैनपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्री रियाजुल हाजी, 7037518443 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |

2- उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 में अवगत कराया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित 26 ईट भट्टों का चिन्हीकरण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा किया गया तथा उक्त ईट भट्टों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये। दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के समस्त ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान समस्त ईट भट्टे बन्द पाये गये थे। दोषी 26 ईट भट्टों की सूची संलग्न है। दोषी 26 ईट भट्टों के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राज्य बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किये गये। पृथक से आख्या प्रेषित नहीं करने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा खेद प्रकट करते हुए भविष्य में उक्त की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7 लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अभी तक इस कार्यालय को मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिसके फलस्वरूप भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है और इसी

कारण उक्त ईट भट्टों द्वारा अर्थदण्ड जमा नहीं किया गया है। मांग पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह शीघ्र ही नियमानुसार मांगपत्र निर्गत कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जा सके।

3- उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत वर्णित सूची में जनपद रामपुर की तहसील सदर के 01, तहसील बिलासपुर के 04, तहसील शाहबाद के 12, तहसील मिलक के 03 तहसील टाण्डा के 06 कुल 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी इनका संचालन बन्द है। जैसाकि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की आख्या दिनांक 21.12.2023 से भी स्पष्ट है कि उक्त ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द हैं तथा उनके स्वामी द्वारा अर्थदण्ड जमा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु मांगपत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा पृथक से आख्या प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशुतोष चौहान द्वारा खेद प्रकट करते हुए भविष्य में उक्त की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द हैं तथा वर्तमान में भी उनका संचालन नहीं हो रहा है। मांगपत्र के अभाव में जनपद स्तर से भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। उक्त ईट भट्टों के मांग पत्र प्रदूषण विभाग से प्राप्त होते ही वसूली की प्रभावी कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। साथ ही यह भी संज्ञान में लाना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को कड़े निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि प्रश्नगत 26 ईट भट्टों का संचालन किसी भी दशा में न होने दें और समय-समय पर अपनी निरीक्षण आख्या भी उपलब्ध कराते रहें। इस प्रकार श्री आशुतोष चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा विलम्ब से आख्या प्रस्तुत करने के कारण अधोहस्ताक्षरी के स्तर से आख्या प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार आख्या एवं फोटोग्राफ्स।

भू-राजस्व,

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को उपरोक्त 26 ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ ही मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर।

पत्रांक 317 एस0टी0-2023

दिनांक:-21.12.2023

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।



जिलाधिकारी,

रामपुर।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र सं0 1736/N-13/889/2022/जनरल दिनांक 12.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन करते हुए आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में ईट भट्टों की जांच तहसीलदार टाण्डा से करायी गयी। जांच दौरान तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों को विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 सं0 | ईट भट्टा का नाम व पता | ईट भट्टा मालिक का नाम व मो0नं0 | ग्राम | तहसील | जनपद | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अनस ब्रिक वर्क्स | श्री आजम 7351281035 | रनुआनगला | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 2 | गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स | श्री वजाहत जान खां 9411288099 | मिलक नगली | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 3 | हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) | श्री मुनसाद हाजी 9719657522 | सरावा सैदनगर | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 4 | नवाज ब्रिक वर्क्स | श्री अफसर अली 8881822485 | दर्शनपुर लालपुर रोड | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ऑटोमैटिक चक्स | गौडसमी 9358457801 | छितरिया जागीर | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्ठा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक चक्स | श्रीवासिद 9917069755 | छितरिया जागीर | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्ठा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |


तहसीलदार टाण्डा की आख्यानुसार उपरोक्त समस्त ईट भट्ठों का संचालन बन्द है। आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।
संलग्नक—यथोक्तानुसार।


(अरुण कुमार)
उपजिलाधिकारी टाण्डा
जनपद—रामपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
 रायबरेली-10, रायबरेली, उत्तर प्रदेश
 रायबरेली

~~रायबरेली~~
 रायबरेली

रायबरेली



741

151

गरीब - 1916 प्रिक
वार्ड मिलक नगली

अप्रमर



GPS Map
Camera Lite

VXG2+M23, Milak Nagli, Uttar Pradesh 244927, India

Latitude

28.87802245°

Longitude

78.94883367°

Local 05:16:29 PM

GMT 11:46:29 AM

Altitude 196 meters

Thursday, 21.12.2023

Handwritten signature or mark.

हमजा क्रिणवार्क
(-यात -यात यु-यात
वार्क, (यात)

अवस्था



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Karimpur Garbi, Uttar Pradesh 244927, India

Latitude
28.87019849°

Longitude
78.96349955°

Local 04:47:40 PM
GMT 11:17:40 AM

Altitude 194 meters
Thursday, 21.12.2023

अवस्था

लाल
फिर ००००५
२०११-१३

२०/०५/१२
५-६



A: L

3/15/2012

W/2012
SOS
W/2012

Handwritten signature




ok Dan

SPS

012

Grasshoppers - 18000 in 8/11/20


SPS



OK प्रिन वर्क 1
द्वितीय जमीर



GPS Map Camera



Chhitria Jageer, Uttar Pradesh, India
Rampur Rd, Chhitria Jageer, Uttar Pradesh 244925, India
Lat 28.931564°
Long 78.989782°
21/12/23 03:53 PM GMT +05:30

125

गुप्त

जा

747

21

शशिद किमवर्स

छीतरिया जागीर

अपुष्टा

GPS Map Camera

छीतरिया जागीर, उत्तर प्रदेश, भारत

WXJP+FH, छीतरिया जागीर, उत्तर प्रदेश 244925, भारत

Lat 28.9312°

Long 78.989098°

21/12/23 03:41 PM GMT +05:30



Google

कार्यालय उप जिलाधिकारी मिलक जिला रामपुर।

संख्या- 1275/एस0टी0

दिनांक:-दिसम्बर 21, 2023

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

कृप्या अपने कार्यालय पत्र संख्या 1736/एन-13/889/2022/जनरल दिनांक 12.12.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन करते हुए आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में ईट भट्टों की जांच तहसीलदार मिलक से करायी गयी। जांच दौरान तहसील मिलक क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र0 सं0 | ईट भट्टा का नाम व पता | ईट भट्टा मालिक का नाम व मोबाइल नं0 | ग्राम | तहसील | जनपद | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 01 | जय श्री बाला जी ब्रिक इन्डस्ट्रीज | श्रीमती तुलका देवी, 6396247831 | जगन्नाथपुर | मिलक | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 02 | कुनाल ब्रिक वर्क्स | श्री बल्लू पाण्डेय, 9412153741 | क्रमचा | मिलक | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 03 | तहसील ब्रिक सेंटर | श्री रियाजुल हाजी, 7037518443 | चैनपुर | मिलक | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |


तहसीलदार मिलक की आख्यानुसार उपरोक्त समस्त ईट भट्टों का संचालन बन्द है।
आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

Sh. 21/12/2023

उप जिलाधिकारी मिलक,
जिला रामपुर।

जय श्री बाला जी
बिज इन्स्टीट्यूट
अमनाथपुर




[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]


750

24





बैनापुर तख्त निलक (शमशु) 26



NR

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, जनपद रामपुर।

पत्रांक 3303/एस0टी0-2023

दिनांक:-21.12.2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र सं0 1736/N-13/889/2022/जनरल दिनांक 12.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन करते हुए आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में ईट भट्टों की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी। जांच दौरान तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों को विवरण निम्नवत् है-

| क0 सं0 | ईट भट्टा का नाम व पता | ईट भट्टा मालिक का नाम व मो0नं0 | ग्राम | तहसील | जनपद | अभ्युक्ति |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind) | मौ0 फारूख, रउफ मौ0 7819954403 | मेंहदीनगर जनूबी | सदर | रामपुर | उक्त ईट भट्टा पूर्व से ही बन्द है एवं वर्तमान में भी संचालित नहीं है। |

तहसीलदार सदर की आख्यानुसार उपरोक्त समस्त ईट भट्टों का संचालन बन्द है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्तानुसार।

21.12.2023
उप जिलाधिकारी
सदर, रामपुर।

राज ब्रिचल इण्डस्ट्रीज ग्राम मेंदवी नगर जखी

तह - लहर

जि.म - रामपुर




 21/12/2023
 गि.म. इ.म.
 ल.म.म.


 21.12.2023
 (गि.म.)

पत्रांक: 93 /रोका0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिलासपुर, जनपद रामपुर। 755

दिनांक: दिसम्बर 21, 2023

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रामपुर के पत्रांक 1736/एन-13/889/2022/जनसंख्या, दिनांक 12.12.2023 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरियत अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनपालन में निम्नलिखित की सूचना चाही गयी है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है-

| क0सं0 | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा का स्वामी एवं मो0 नं0 | भट्टा की स्थिति |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Shan Brick Field (New name-India Brick Ind.) Andkheri, Bilaspur Rampur | श्री मिराज अली- 9759670440 | पूर्व से बंद थे वर्तमान में भी बंद है। |
| 2 | Guru Nanak Brck Works (Old Nam Om Shiv Shakti Brick Field) Narsua Bilaspur Rampur | श्री बूटा सिंह- 9837322555 | पूर्व से बंद थे वर्तमान में भी बंद है। |
| 3 | Kubra Brick Field (New Name-Sadab Brick Field & Old ame Momin Brick Works), pajaba, Bilaspur Rampur | श्री अब्दुल कलाम- 9690605457 | पूर्व से बंद थे वर्तमान में भी बंद है। |
| 4 | New Kohinoor Brick Fileld, Padpuri, Bilaspur Rampur | श्री जुल्फिकार अहमद- 9411353954 | पूर्व से बंद थे वर्तमान में भी बंद है। |

सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार बिलासपुर
जनपद रामपुर।

उप जिलाधिकारी बिलासपुर
जनपद रामपुर।

श्री ५ कावेरि

756

30

इसिया (विद्युत इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) गाँव आण्डपेटी न.६० विल्लार
पूर्व में मल (आम प्रिन्स पील्स) जिल्ला रायचूर



अड्डा (कामी) - मिराजअली
मो० - ९७५९६७०५५०

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Teh (B)


757

31

उत्तम विन्स फ़िल्ड नरमुक्ता

भूसा स्थायी कृषि सिद्ध प्रकल्प वीरगिरी

98373 22555



Jeh B

RIA

21/12/2023

जान - लजना नदी - सिवासा
उत्तर



[Handwritten signature]
(2)

[Handwritten signature]
(10/6/01)

(इकठ्ठप काजय)
(कोहि बर मेकल)
अय पशपुरी वि बमपुरा





अय पशपुरी वि बमपुरा

अयकार अरु
०५५३५९५५

R H

Teli (B)

अयकार
(अयकार अरु)



[Handwritten signature]
15/12/23

कार्यालय उपजिलाधिकारी, शाहबाद, जनपद रामपुर

पत्रांक 689 / एस0टी0

दिनांक:- 21-12-2023

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के कम सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच 03511/सी-7/विविध-597/023 दिनांक 01.12.2023 आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1736/एन0-13/889/2022/जनरल दिनांक 17.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन कराते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में ईट भट्टों की जांच नायब तहसीलदार शाहबाद से करायी गयी। जांच दौरान तहसील शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत ईट भट्टों का विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | ईट भट्टे का नाम | पता | भट्टा स्वामी का नाम | मो0नं0 | तहसील | जनपद | अभियुक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वर्क्स) | देवीपुरा रोड बड़ागांव | श्री विजय सिंह | 7895875224 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भट्टा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 2 | फेमस त्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा त्रिक वर्क्स) | खरसौल | श्री जाबिर अली | 9027567911 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भट्टा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |

1/12/23

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | जगदम्बे त्रिक वर्क्स | गहनी | श्री मस्तराम पाण्डेय | 7500799356 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 4 | खान त्रिक वर्क्स | वलूपुरा | श्री नदीम खान | 9756577865 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 5 | हिदायत त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुर्शीद विक फील्ड) | ककरौआ | श्री खुर्शीद अहमद | 7310742423 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) | ककरौआ | श्री फुरकान पाशा | 9719561462 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 7 | फार्मर त्रिक इन्डस्ट्रीज | करीमगंज | श्री आरिफ मियां | 9068416750 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 8 | के०के० त्रिक वर्क्स | ढकिया रोड | श्री राशिद खां | 9412871791 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 9 | उमेश त्रिक वर्क्स | चौकोनी | श्री राजपाल यादव | 6396353961 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |




| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|-----------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | पवन त्रिक वर्क्स | वलुपुरा | श्री अजय | 7895875224 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड | सुहावा | श्री दिलशाद खां | 9891146829 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |
| 12 | शवाना त्रिक फील्ड | सैफनी | श्री राजू चौधरी | 8218371402 | शाहबाद | रामपुर | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी संचालन बन्द है। |

नायब तहसीलदार शाहबाद की आख्यानुसार उपरोक्त समस्त ईट भटठों का संचालन बन्द है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


21.12.2023

तहसीलदार,
शाहबाद।

उप जिलाधिकारी,
शाहबाद (रामपुर)

764

38



जैमस विक वमरि ववरसोल

 NTCP





जगदम्बा लिंक वर्क्स गोहरी

६ N.T.C.B

९/१२




कादरी चिक वर्क्स सुहावा

At
on


767

41



के०के० ब्रिक वर्मर डकिया रोड एमटी (ए)

4+
59m




भारत विम वमर्स ककरौआ

N.T. 18

11
Spm

769


43



पवन ब्रिक वर्क्स बलुपुरा

N.T.C.

SDL



स्वान ब्रिक वर्मर बल्लपुरा धर्मपुरा

Handwritten signature or mark.

771

45



हियाय त विक वर्स करीआ ^थ मरु

Atm

772

46



उमेश ब्रिज वर्मा - पौकरी

AA
5/2/14

773

47



स्नवाना क्रिक वर्क्स सैलानी

एच. ए. ए.

AA
50m 15

774

48




फारमल ब्रिक वर्क्स करीमगंज
24/11/2014

14/11/2014

775

49



अमन ईट उद्योग देवीपुरा

ए. नर. (४)

Handwritten signature

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-1276 /खनिज/2023-24

दिनांक:-2) दिसम्बर, 2023

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें जनपद मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा व रामपुर में अवैध रूप से चलने वाले ईट भट्टों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं।

1- उक्त के अनुपालन में उप जिलाधिकारी टाण्डा, बिलासपुर, मिलक, शाहवादा व सदर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद से आख्या प्राप्त की गयी जो निम्नवत् हैं :-
(1)- उप जिलाधिकारी बिलासपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील बिलासपुर में 04 ईट भट्टे अंकित है जो पूर्व से ही बन्द हैं तथा वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफस संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | शान ब्रिक फील्ड (न्यू नेम इण्डिया ब्रिक इंडो) अंडखेड़ी बिलासपुर, रामपुर | श्री मिराज अली- 9759670440 | पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। |
| 2 | गुरुनानक ब्रिक वर्क्स (ओल्ड ने ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड) नरसुआ, बिलासपुर रामपुर। | श्री बूटा सिंह- 9837322555 | पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। |
| 3 | कुबरा ब्रिक फील्ड (न्यू नेम शादाब ब्रिक फील्ड एण्ड ओल्ड नेम मोमीन ब्रिक वर्क्स) पजाबा बिलासपुर, रामपुर | श्री अब्दुल कलाम- 9690605457 | पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। |
| 4 | न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी, बिलासपुर, रामपुर | श्री जुल्फिकार अहमद- 9411353954 | पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। |

(2)- उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील सदर में 01 ईट भट्टा अंकित है जो वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है जिसके फोटोग्राफस संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | राजा ब्रिक वर्क्स (ओल्ड नेम एस.एस. ब्रिक वर्ल्ड एण्ड ख्वाजा गरीब नवाज इंडो), ग्राम मेंहदीनगर जनूबी, तहसील सदर, रामपुर | मौ० फारूख, मौ० रउफ मौ० 7819954403 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

(3)- उप जिलाधिकारी शाहवादा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील शाहवादा में 12 ईट भट्टे अंकित है जो पूर्व से बन्द चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफस संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वर्क्स) ग्राम देवीपुरा रोड बड़ागांव, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर। | श्री विजय सिंह- 7895875224 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 2 | फेमस त्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा त्रिक वर्क्स) ग्राम खरसौल, तहसील शाहबाद जनपद रामपुर | श्री जावेद अली-9027567911 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 3 | जगदम्बे त्रिक वर्क्स ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री मस्तराग पाण्डेय- 7500799356 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 4 | खान त्रिक वर्क्स ग्राम बलूपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर | श्री नदीम खान-9756577865 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 5 | हिदाया त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुशीद विक फील्ड), ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री खुशीद अहमद-7310742423 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री फुरकान पाशा-9719561462 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 7 | फार्मर त्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम करीमगंज, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री आरिफ गियां-9068416750 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 8 | के0के0 त्रिक वर्क्स, ग्राम ढकिया रोड, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर। | श्री राशिद खां-9412871791 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 9 | ओमेश त्रिक वर्क्स, ग्राम चौकोनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजपाल यादव-6396353961 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 10 | पवन त्रिक वर्क्स, ग्राम बलूपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री अजय- 7895875224 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड, ग्राम सुहावा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री दिलशाद खां-9891146829 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |
| 12 | शबाना त्रिक फील्ड, ग्राम सैफनी तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजू चौधरी-8218371402 | उक्त ईट भटठा पूर्व से बन्द चला आ रहा है और वर्तमान समय में भी बन्द है। |

(4)- उप जिलाधिकारी टाण्डा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील टाण्डा में 06 ईट भटठा अंकित है जो पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा

वर्तमान समय में भी संचालित नहीं हैं। मौके पर बन्द है जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | ए०एन०एस० ब्रिक वर्क्स ग्राम रनुआनगला तहसील टाण्डा जिला रामपुर | श्री आजम 7351281035 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 2 | गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स, ग्राम मिलक नगली, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री यजाहत जान खां 9411288099 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 3 | हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) ग्राम सरावा सैदनगर, तहसील टाण्डा जिला रामपुर। | श्री मुनसाद हाजी 9719657522 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 4 | नाज़ ब्रिक वर्क्स, ग्राम दर्शनपुर लालपुर रोड, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री अफसर अली 8881822485 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 5 | ओ०के०ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | मौ०समी 9358457801 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | श्री वासिद 9917069755 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

(5)- उप जिलाधिकारी मिलक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील मिलक में 03 ईट भट्टा अंकित है जो वर्तमान समय में संचालित नहीं है और पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | जय श्री बाला जी ब्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्रीमती तुलका देवी, 6396247831 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 2 | कुनाल ब्रिक वर्क्स, ग्राम कमचा तहसील मिलक जिला रामपुर | श्री बब्लू पाण्डेय, 9412153741 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |
| 3 | आका ब्रिक सेन्टर न्यू नेम तहसील ब्रिक सेन्टर, ग्राम चैनपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्री रियाजुल हाजी, 7037518443 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। पूर्व से बन्द है। |

2- उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 में अवगत कराया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित 26 ईट भट्टों का चिन्हीकरण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा किया गया तथा उक्त ईट भट्टों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये। दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के समस्त ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान समस्त ईट भट्टे बन्द पाये गये थे। दोषी 26 ईट भट्टों की सूची संलग्न है। दोषी 26 ईट भट्टों के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राज्य बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किये गये। पृथक से आख्या प्रेषित नहीं करने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा खेद प्रकट करते हुए भविष्य में उक्त की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7 लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अभी तक इस कार्यालय को मांग पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिसके फलस्वरूप भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है और इसी

कारण उक्त ईट भट्टों द्वारा अर्थदण्ड जमा नहीं किया गया है। मांग पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह शीघ्र ही नियमानुसार मांगपत्र निर्गत कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जा सके।

3- उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत वर्णित सूची में जनपद रामपुर की तहसील सदर के 01, तहसील बिलासपुर के 04, तहसील शाहबाद के 12, तहसील गिलक के 03 तहसील टाण्डा के 06 कुल 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी इनका संचालन बन्द है। जैसाकि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की आख्या दिनांक 21.12.2023 से भी स्पष्ट है कि उक्त ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द हैं तथा उनके स्वामी द्वारा अर्थदण्ड जमा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु मांगपत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा पृथक से आख्या प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशुतोष चौहान द्वारा खेद प्रकट करते हुए भविष्य में उक्त की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द हैं तथा वर्तमान में भी उनका संचालन नहीं हो रहा है। मांगपत्र के अभाव में जनपद स्तर से भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। उक्त ईट भट्टों के मांग पत्र प्रदूषण विभाग से प्राप्त होते ही वसूली की प्रभावी कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। साथ ही यह भी संज्ञान में लाना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को कड़े निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि प्रश्नगत 26 ईट भट्टों का संचालन किसी भी दशा में न होने दें और समय-समय पर अपनी निरीक्षण आख्या भी उपलब्ध कराते रहें। इस प्रकार श्री आशुतोष चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा विलम्ब से आख्या प्रस्तुत करने के कारण अधोहस्ताक्षरी के स्तर से आख्या प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार आख्या एवं फोटोग्राफ्स।

भवदीय,

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को उपरोक्त 26 ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ ही मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर।

प्रेषक,

सेवा में,

पत्रांक- 1311

विषय:-

महोदय,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।
/खनिज/2023-24

दिनांक:- 18 दिसम्बर, 2023

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 एवं 21.12.2023 के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा व रामपुर में अवैध रूप से चलने वाले ईट भट्टों को बन्द करने की कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली करते हुए आठ सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कि आदेश दिये गये हैं जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1276/खनिज/2023-24 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आख्या प्रेषित करते हुए मांगपत्र निर्गत कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद रामपुर में स्थित 26 ईट भट्टों के सम्बन्ध में संबंधित उप जिलाधिकारियों से आख्या प्राप्त की गयी थी उनके द्वारा अपनी आख्या से अवगत कराया गया है कि उक्त समस्त 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी बन्द हैं। तत्क्रम में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के निरीक्षण के दौरान समस्त ईट भट्टे बन्द पाये गये थे। दोषी 26 ईट भट्टों के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुए राज्य बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त ईट भट्टों द्वारा अर्धदण्ड जमा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु मांगपत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उक्त ईट भट्टों के विरुद्ध नियमानुसार मांगपत्र निर्गत कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उनसे भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही करायी जा सके।

पत्रदीय,

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर। 01/12

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि संबंधित उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त 26 ईट भट्टों का संचालन अग्रिम आदेशों तक किसी भी दशा में न होने दें तथा मांगपत्र प्राप्त करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराये और मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर। 01/12

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक-1341 / खनिज / 2023-24

दिनांक:-03 जनवरी, 2024

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889 / 2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०एन० संख्या 889 / 2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्र०नि०बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्रांक 11050-32 दिनांक 29.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद रामपुर के अन्तर्गत आच्छादित दोषी 26 भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश के क्रम में उनका संचालन रोकें जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या मुख्यालय को दिनांक 05.01.2024 तक प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

1- उक्त के अनुपालन में कार्यालय पत्रांक 1325 / खनिज / 2023-24 दिनांक 01.01.2024 के द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारी, जनपद रामपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए वर्णित 26 ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में संबंधित उप जिलाधिकारियों व क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत है :-

(1)- उप जिलाधिकारी बिलासपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 02.01.2024 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील बिलासपुर में 04 ईट भट्टे अंकित हैं जो पूर्व से ही बंद हैं तथा वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी/प्रो० का नाम व मो०न० | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | शान त्रिक फील्ड (नया नाम इण्डिया त्रिक इंडो) अंडखेड़ी बिलासपुर, रामपुर | प्रो० मौ० सैफ- 9759670440 | ईट भट्टा पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। मौके पर कच्ची ईट पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन का कार्य बन्द है। |
| 2 | गुरुनानक त्रिक वर्क्स (पूर्व का नाम ओम शिव शक्ति त्रिक फील्ड) नरसुआ, बिलासपुर रामपुर। | श्री बूटा सिंह- 9837322555 | ईट भट्टा पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। मौके पर कच्ची ईट पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन का कार्य बन्द है। |
| 3 | कुवरा त्रिक फील्ड (नया नाम सादाय त्रिक फील्ड व पूर्वनाम मोमीन त्रिक वर्क्स) पजावा बिलासपुर, रामपुर | श्री अब्दुल कलाम- 9690605457 | ईट भट्टा पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। मौके पर कच्ची ईट पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन का कार्य बन्द है। |
| 4 | न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी, बिलासपुर, रामपुर | श्री जुल्फिकार अहमद- 9411353954 | ईट भट्टा पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। मौके पर कच्ची ईट पथाई का कार्य एवं ईधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन का कार्य बन्द है। |

उप जिलाधिकारी बिलासपुर द्वारा अपनी उक्त आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि तहसील बिलासपुर के ईट-भट्टा स्वामियों एवं क्षेत्रीय लेखपाल/संग्रह अमीन के साथ दिनांक 29.12.2023 को बैठक की गयी थी, जिसके दौरान उपस्थित लेखपाल/संग्रह अमीन एवं ईट-भट्टा स्वामियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश से अवगत कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संबंधित ईट-भट्टों के विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 02.01.2024 को सम्बन्धित ईट भट्टों के विरुद्ध वसूली हेतु मांगपत्र प्राप्त हुए हैं जिनके क्रम में दिनांक 02.01.2024 को ही बाकीदारों के विरुद्ध आर0सी0 प्रपत्र-36 जारी करते हुए बाकीदारों को तामील कराकर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सभी ईट-भट्टों का संचालन बन्द रखने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है।

(2)- उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 3588/एस0टी0 दिनांक 03.01.2024 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील सदर में 01 ईट भट्टा अंकित है जो संचालित नहीं हैं। फोटोग्राफ्स संलग्न है तथा विवरण निम्नवत् है :-

| क0 | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो0नं0 | अभ्युक्ति |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | मै0 राजा ब्रिक वर्क्स पुराना नाम (मै0 एस.एस. ब्रिक वर्ल्ड एण्ड मै0 ख्वाजा गरीब नवाज), ग्राम मेंहदीनगर जनूबी, तहसील सदर, रामपुर | मौ0 फारुख 7819954403 | ईट भट्टा पूर्व से बंद है तथा वर्तमान में भी बंद है। मौके पर कच्ची ईट पथाई का कार्य एवं ईधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन का कार्य बन्द है। |

उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी उक्त आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 को तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दोषी भट्ट मै0 राजा ब्रिक वर्क्स पुराना नाम (मै0 एस.एस. ब्रिक वर्ल्ड एण्ड मै0 ख्वाजा गरीब नवाज), ग्राम मेंहदीनगर जनूबी, तहसील सदर, रामपुर के प्रोपराईटर साहिबा खान पत्नी मौहम्मद फारुख निवासी ज्वालानगर के पति मौहम्मद फारुख (राजा) के साथ तहसील मुख्यालय पर बैठक योजित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (धनराशि 84,37,500) को उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड के यूनियन खाता संख्या 701502010002104, IFSC CODE UBIN 0570150 में जमा कराने हेतु पत्र प्राप्त कराया गया जिसके क्रम में प्रोपराईटर के पति द्वारा 07 दिवसों में उक्त धनराशि जमा करने हेतु आश्वासन दिया गया है। (बैठक उपस्थिति पत्र संलग्न) इसके अतिरिक्त दिनांक 02.01.2024 को सदस्य सचिव महोदय के संदर्भ संख्या-1705089/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/2023 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में दिनांक 02.01.2024 को ही साइटेशन जारी कर बकाएदार को तामील करा वसूली की नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। (संलग्नक साइटेशन)

(3)- उप जिलाधिकारी शाहबाद द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 773/एस0टी0 दिनांक 02.01.2024 से अवगत कराया गया है कि तहसील शाहबाद में निम्नलिखित 12 ईट भट्टे पूर्व से बन्द चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी बन्द हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी/प्रो० का नाम व मो०नं० | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वर्क्स) ग्राम देवीपुरा रोड बड़ागांव, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर। | श्री प्रमोद कुमार शर्मा- 9758779551 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 2 | फेमस त्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा त्रिक वर्क्स) ग्राम खरसौल, तहसील शाहबाद जनपद रामपुर | श्री जाबिर अली-9027567911 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 3 | जगदम्बे त्रिक वर्क्स ग्राम गहनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री सुधीश कुमार- 7500799356 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 4 | खान त्रिक वर्क्स ग्राम बलूपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर | श्री वसीम अहमद-992777787 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 5 | हिदाया त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुशीद विक फील्ड), ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री नईम अहमद-7310742423 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) ग्राम ककरौआ तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री फुरकान पाशा-9719561462 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 7 | फार्मर त्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम करीमगंज, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री आरिफ मियां-9068416750 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 8 | के०के० त्रिक वर्क्स, ग्राम ढकिया रोड, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर। | श्री राशद खां-9412871791 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 9 | ओमेश त्रिक वर्क्स, ग्राम चौकोनी, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजपाल यादव-6396353961 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 10 | पवन त्रिक वर्क्स, ग्राम बलूपुरा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री फलीम खां- 9798645522 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड, ग्राम सुहावा, तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री दिलशाद खां-9891146829 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |



| | | | |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | शबाना ब्रिक फील्ड, ग्राम सैफनी तहसील शाहबाद जिला रामपुर। | श्री राजू चौधरी-8218371402 | उक्त ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

उप जिलाधिकारी शाहबाद द्वारा अपनी उक्त आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 को भट्टा संचालकों के साथ तहसील सभागार शाहबाद में बैठक की गयी जिसका पृथक से कार्यवृत्त भी जारी किया गया है। बैठक में उक्त भट्टा स्वामियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी दशा में भट्टों का संचालन न किया जाये। साथ ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विभव खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 701502010002104, IFSC CODE UBIN 0570150 में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें। बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त पृथक से निर्गत किया गया है जिसकी प्रति के साथ दिनांक 30.12.2023 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व अमर उजाला में प्रकाशित समाचार की प्रति भी संलग्न की है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा तहसील शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत उक्त 12 भट्टों में से 3 भट्टों के वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 को प्राप्त कराये गये जिसमें तहसीलदार शाहबाद द्वारा वसूली हेतु साइटेशन दिनांक 01.01.2024 को ही निर्गत किये जा चुके हैं तथा शेष 9 भट्टों के वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त हुए हैं जिनमें दिनांक 02.1.2024 को साइटेशन जारी कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही समस्त उक्त 12 भट्टों का संचालन बंद रखने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

(4)- उप जिलाधिकारी टाण्डा द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 3294/एस0टी0 दिनांक 03.01.2024 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील टाण्डा में 06 ईट भट्टा अंकित है जो पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं तथा वर्तमान समय में भी संचालित नहीं हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है:-

| क्र0 | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो0नं0 | अभ्युक्ति |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स ग्राम रनुआनगला तहसील टाण्डा जिला रामपुर | श्री आजम 7351281035 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 2 | गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स, ग्राम मिलक नगली, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री वजाहत जान खां 9411288099 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 3 | हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) ग्राम सरावा सैदनगर, तहसील टाण्डा जिला रामपुर। | श्री मुनसाद हाजी 9719657522 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 4 | नाज़ ब्रिक वर्क्स, ग्राम दर्शनपुर लालपुर रोड, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर | श्री अफसर अली 8881822485 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 5 | ओ0के0ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर, तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | मौ0समी 9358457801 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर तहसील टाण्डा, जिला रामपुर। | श्री वासिद 9917069755 | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

उप जिलाधिकारी टाण्डा द्वारा अपनी उक्त आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश से आच्छादित उक्त भट्टा स्वामियों के साथ अधिरोपित जुर्माना वसूली के सम्बन्ध में बैठक की गयी जिसका कार्यवृत्त एवं इस सम्बन्ध में हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति

संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त बैठक के कम में ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला से 2 लाख रुपये वसूल कर किये गये है जिसकी रशीद भी संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त 6 ईट भट्टा संचालकों के विरुद्ध वसूली मांग पत्र दिनांक 01.01.2024 को प्राप्त कराये गये हैं जिनके विरुद्ध तहसीलदार टाण्डा द्वारा दिनांक 01.01.2024 को ही साईटेशन (आर0सी0 प्रपत्र-36) जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा कराये जाने हेतु बाकीदारों को तामिला करा दिया गया है। (आर0सी0 प्रपत्र-36 की छायाप्रति संलग्न) संबंधित बाकीदारों से बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार सैदनगर/राजस्व निरीक्षक सैदनगर/क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त ईट भट्टे संचालित न होने पाये। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है।

(5)- उप जिलाधिकारी मिलक द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 1311/एस0टी0 दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित सूची में तहसील मिलक में 03 ईट भट्टा अंकित है जो वर्तमान समय में संचालित नहीं है और पूर्व से ही बन्द चले आ रहे हैं जिनके फोटोग्राफ्स संलग्न है और विवरण निम्नवत् है :-

| क0 | उद्योग का नाम व पता | ईट भट्टा स्वामी का नाम व मो0नं0 | अभ्युक्ति |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | जय श्री बाला जी ब्रिक इन्डस्ट्रीज, ग्राम जगन्नाथपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्री सुशील कुमार- 8006010987 | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डरण नहीं पाया गया। ईट भट्टा उत्पादन कार्य बन्द है। |
| 2 | कुनाल ब्रिक वर्क्स, ग्राम कमचा तहसील मिलक जिला रामपुर | श्री बब्लू पाण्डेय, 9412153741 | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डरण नहीं पाया गया। ईट भट्टा उत्पादन कार्य बन्द है। |
| 3 | आका ब्रिक सेन्टर (नया नाम तहसीन ब्रिक सेन्टर) ग्राम चैनपुर तहसील मिलक जिला रामपुर। | श्री तौसीफ -9568073869 श्री दिलशाद अहमद, 761966399 | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डरण नहीं पाया गया। ईट भट्टा उत्पादन कार्य बन्द है। |

उप जिलाधिकारी मिलक द्वारा अपनी उक्त आख्या में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 को तहसील मिलक के उक्त ईट भट्टा मालिकों के साथ बैठक आहूत की गयी। जिसमें उक्त ईट भट्टों पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करने तथा सम्बन्धित संग्रह अमीन को क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये। (कार्यवृत्त संलग्न)। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त ईट भट्टों पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि हेतु दिनांक 01.01.2024 को वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त कराये गये हैं जिसके क्रम में दिनांक 01.01.2024 को ही सम्बन्धित तीनों ईट भट्टा मालिकों के विरुद्ध साईटेशन दिनांक 01.01.2024 को ही निर्गत कर बाकीदार पर तामिला कराते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है (आर0सी0 तथा नोटिस की प्रति संलग्न है)। साथ ही समस्त उक्त 03 भट्टों का संचालन बंद रखने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

2- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आपको, इस कार्यालय के पत्रांक 1311/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित 26 ईट भट्टों के विरुद्ध पृथक-पृथक मांगपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया था जिसके कम में आपके द्वारा 10 मांग पत्र दिनांक 01.01.2024 एवं 16 मांगपत्र दिनांक 02.01.2024 को उपलब्ध कराये गये हैं जिनके कम में नियमानुसार वसूली कराये जाने हेतु संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गयी है। उक्त 26 वसूली

मांगपत्रों के सम्बन्ध में संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्याओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.12.2023 को संबंधित ईट भट्टा संचालकों के साथ बैठक की गयी जिसका पृथक से कार्यवृत्त भी जारी किया गया है। बैठक में उक्त भट्टा स्वामियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी दशा में भट्टों का संचालन न किया जाये। साथ ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विमव खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 701502010002104, IFSC CODE UBIN 0570150 में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें जिसके कम में निम्नानुसार भट्टा स्वामियों द्वारा उक्त खाते में धनराशि जमा कर रसीद प्रस्तुत की गयी :-

| क्र0 | तहसील का नाम | उद्योग व प्रो0 का नाम पता | उद्योग स्वामी का बैंक खाता संख्या | धनराशि |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | टाण्डा | ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स ग्राम रनुआनगला तहसील टाण्डा जिला रमापुर- श्री आजम 7351281035 | 10990200000198 | 2,00,000 /- |

उक्त बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त पृथक से निर्गत किया गया है जिसकी प्रति के साथ दिनांक 30.12.2023 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व अमर उजाला में प्रकाशित समाचार की प्रति भी संलग्न की है। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा तहसील बिलासपुर से संबंधित वसूली मांगपत्र दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त कराये गये हैं जिनके कम में दिनांक 02.01.2024 को ही बाकीदारों के विरुद्ध आर0सी0 प्रपत्र-36 जारी करते हुए बाकीदारों को तामील कराकर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसी प्रकार तहसील शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत उक्त 12 भट्टों में से 3 भट्टों के वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 को प्राप्त कराये गये जिसमें तहसीलदार शाहबाद द्वारा वसूली हेतु साइटेशन दिनांक 01.01.2024 को निर्गत किये जा चुके हैं तथा शेष 9 भट्टों के वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त हुए हैं जिनमें दिनांक 02.1.2024 को ही बाकीदार को साइटेशन (आर0सी0 प्रपत्र-36(देखें नियम-141(3) मॉग का अधिपत्र) जारी कर बाकीदार पर तामील करा दिया गया है। तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत उक्त 6 ईट भट्टा संचालकों के विरुद्ध वसूली मांग पत्र दिनांक 01.01.2024 को प्राप्त कराये गये हैं जिनके विरुद्ध तहसीलदार टाण्डा द्वारा दिनांक 01.01.2024 को ही साइटेशन (आर0सी0 प्रपत्र-36) जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा कराये जाने हेतु बाकीदारों को तामीला करा दिया गया है। तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत 01 ईट भट्टा संचालक के विरुद्ध दिनांक 02.01.2024 को मांगपत्र प्राप्त कराया गया है जिसके विरुद्ध तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 02.01.2024 को ही साइटेशन (आर0सी0 प्रपत्र-36) जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा कराये जाने हेतु बाकीदारों को तामीला करा दिया गया है। तहसील मिलक क्षेत्रान्तर्गत 03 ईट भट्टा संचालक के विरुद्ध दिनांक 01.01.2024 को मांगपत्र प्राप्त कराया गया है जिसके विरुद्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.01.2024 को ही साइटेशन (आर0सी0 प्रपत्र-36) जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा कराये जाने हेतु बाकीदारों को नोटिस तामीला करा दिया गया है जिसमें बाकीदार को स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि "जहाँ तक भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीला के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीडनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय"। इस प्रकार उक्त समस्त प्रकरणों में बाकीदारों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त संबंधित उप जिलाधिकारियों व क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त 26 ईट भट्टों संचालित किसी भी दशा न होने पाये। इस प्रकार उक्त समस्त 26 भट्टों का संचालन बंद रखने के लिए सतत निगरानी करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है।

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के बिन्दु संख्या 16 पारित आदेश का अनुपालन करते हुए माफीनामा पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद रामपुर के समस्त 26 ईट भट्टे पूर्व से ही बन्द हैं तथा वर्तमान में भी उनका संचालन नहीं हो रहा है और न ही ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य एवं ईंधन यथा कोयला, लकड़ी का भण्डरण हो रहा। ईट भट्टा उत्पादन कार्य पूर्णतः बन्द है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में आपके द्वारा निर्गत वसूली मांग पत्र क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से 10 मांगपत्र दिनांक 01.01.2024 को एवं 16 मांगपत्र दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त कराये गये हैं जिनके क्रम में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारियों को तद् दिनांक को ही उपलब्ध कराते हुए तहसीलदारों के माध्यम से समस्त मांगपत्रों में साइटेशन निर्गत कराकर बाकीदार को तामील कराते हुए वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गयी है। तहसील टाण्डा में बाकीदार ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स ग्राम रनुआनगला तहसील टाण्डा जिला रमापुर से रु. 2,00,000/-की धनराशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विभव खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 701502010002104, IFSC CODE UBIN 0570150 में जमा करा दी गयी है जिसकी रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

साथ ही यह भी संज्ञान में लाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को कड़े निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि प्रश्नगत 26 ईट भट्टों का संचालन किसी भी दशा में न होने दें और समय-समय पर अपनी निरीक्षण टिप्पणी भी उपलब्ध कराते रहें।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में तदनुसार अनुपालन आख्या दाखिल कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (रविन्द्र कुमार माँदड़)
 जिलाधिकारी, रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को उपरोक्त 26 ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ ही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती प्रियंका स्वामी, विद्वान अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को में प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रेषित सूचनार्थ प्रेषित।


 (रविन्द्र कुमार माँदड़)
 जिलाधिकारी, रामपुर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी टाण्डा, जनपद रामपुर।

पत्रांक 329/एस0टी0-2024

दिनांक:-03.01.2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),

रामपुर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 1313/ख0लि0 दिनांक 28.012.2023 व 1325/खनिज/2023-24 दिनांक 01.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में आच्छादित दोषी भट्टे जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी होने व वर्णित 26 भट्टों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 29.12.2023 को तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दोषी भट्टे ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला, गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स मिलक नगली, हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) सरावा सैदनगर, नाज ब्रिक वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड, ओ0के0ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर, राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर के भट्टा स्वामियों/प्रतिनिधि कमशः श्री संजय मो0नं0 8755411014, श्री दरयाब सिंह 9411288099, श्री मुरशद अली मो0नं0 9719657522, श्री बब्बू मो0 नं0 6398236288, श्री अनिल कुमार 9412135298, श्री रामकुंवर मो0नं0 9756450357 के साथ तहसील मुख्यालय पर बैठक योजित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अ00ण धिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक खाता सं0 701502010002104 आई0एफ0एफ0सी0 कोड यू0बी0आई0एन00570150 में जमा करते हुए जमा साक्ष्य कार्यालय को अभिलम्ब उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित ईट भट्टा संचालकों के साथ अयोजित बैठक में मा0 हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 30.12.2023 के अंक में प्रकाशन कराया गया।(छायाप्रति संलग्न)

प्रत्याखरण को नुकसान पहुंचाने वाले ईट भट्टा संचालकों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षतिपूर्ति वसूली के दिशे आदेश



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें ईट भट्टा संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन करना और क्षतिपूर्ति वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ईट भट्टा संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन करना और क्षतिपूर्ति वसूल करने का निर्देश दिया गया है।


ईट भट्टों को कराया बंद संचालकों संग बैठक की



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें ईट भट्टा संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन करना और क्षतिपूर्ति वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ईट भट्टा संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का पालन करना और क्षतिपूर्ति वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से पारित आदेश के अनुपालन हेतु पुनः दिनांक 02.01.2024 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद के सदस्य, नायब तहसीलदार सैदनगर, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के साथ उक्त सभी ईट भट्टों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त सभी ईटों का संचालन बन्द है। जांच दौरान तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दोषी ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है—

| क्र० सं० | ईट भट्टा का नाम व पता | ईट भट्टा मालिक का नाम व मो०नं० | ग्राम | तहसील | जनपद | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अनस ब्रिक वर्क्स | श्री आजम 7351281035 | रनुआनग ला | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 2 | गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स | श्री वजाहत जान खां 9411288099 | मिलक नगली | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 3 | हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) | श्री मुनसाद हाजी 9719657522 | सरावा सैदनगर | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 4 | नाज ब्रिक वर्क्स | श्री अफसर अली 8881822485 | दर्शनपुर लालपुर रोड | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |
| 5 | ओकेके ब्रिक वर्क्स | मौ०समी 9358457801 | छितरिया जागीर | टाण्डा | रामपुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |  | |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स | श्री 9917069755 | वासिद | छितरिया जागीर | टाण्डा | श्राम पुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश से आच्छादित दोषी भट्टे ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला, गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स मिलक नगली, हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) सरावा सैदनगर, नाज ब्रिक वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड, ओ0के0ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर, राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर के भट्टा स्वामियों से अधिरोपित जुर्माना वसूली हेतु वसूली मांग पत्र दिनांक 01.01.2024 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। बकाया धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित को दिनांक 01.01.2024 को साईटेशन(आर0सी0 प्रपत्र-36)जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा किये जाने तामिला करा दिया गया है।(आर0सी0 प्रपत्र-36 की छायाप्रति संलग्न) तथा ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला से 2 लाख रूपये वसूल कर लिये गये है।(छायाप्रति संलग्न) बकाया धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित ईट भट्टा संचालकों से विशेष प्रयास जारी है।

इसके अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार सैदनगर/राजस्व निरीक्षक सैदनगर/क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त ईट भट्टें संचालित न होने पाये। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। ईट भट्टा संचालकों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त, हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की छायाप्रति, वसूली मांग पत्र के क्रम में जारी आर0सी0 प्रपत्र-36 की छायाप्रति व ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स से वसूल किये गये 2लाख रूपये की रशीद की छायाप्रति संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक—यथोक्तानुसार।


(अरुण कुमार)

उपजिलाधिकारी टाण्डा
जनपद—रामपुर।

प्रतिलिपि:—जिलाधिकारी महोदय रामपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी टाण्डा
जनपद—रामपुर।


| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |  | |
| 6 | राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स | श्री 9917069755 | वासिद | छितरिया जागीर | टाण्डा | श्राम पुर | उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है।  |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश से आच्छादित दोषी भट्टे ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला, गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स मिलक नगली, हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) सरावा सैदनगर, नाज ब्रिक वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड, ओ0के0ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर, राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर के भट्टा स्वामियों से अधिरोपित जुर्माना वसूली हेतु वसूली मांग पत्र दिनांक 01.01.2024 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। बकाया धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित को दिनांक 01.01.2024 को साईटेशन(आर0सी0 प्रपत्र-36)जारी करते हुए बकाया धनराशि जमा किये जाने तामिला करा दिया गया है।(आर0सी0 प्रपत्र-36 की छायाप्रति संलग्न) तथा ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स रनुआनगला से 2 लाख रुपये वसूल कर लिये गये है।(छायाप्रति संलग्न) बकाया धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित ईट भट्टा संचालकों से विशेष प्रयास जारी है।


इसके अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार सैदनगर/राजस्व निरीक्षक सैदनगर/क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त ईट भट्टें संचालित न होने पाये। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। ईट भट्टा संचालकों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त, हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की छायाप्रति, वसूली मांग पत्र के क्रम में जारी आर0सी0 प्रपत्र-36 की छायाप्रति व ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स से वसूल किये गये 2लाख रुपये की रशीद की छायाप्रति संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय रामपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


(अरुण कुमार)

उपजिलाधिकारी टाण्डा
जनपद-रामपुर।


उपजिलाधिकारी टाण्डा
जनपद-रामपुर।

66

792



 **GPS Map Camera**

Chhitria Jageer, Uttar Pradesh, India

22 Km Rampur Tanda Road Uttarpradesh, Chhitria Jageer, Uttar Pradesh 244925, India

Lat 28.930712°

Long 78.989132°

02/01/24 12:37 PM GMT +05:30

Google

67

793



Google

Chhitria Jageer, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Chhitria Jageer, Uttar Pradesh 244925, India
Lat 28.931567°
Long 78.9902°

02/01/24 12:40 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

794

68



 GPS Map Camera




Bhawanipur, Uttar Pradesh, India
WX3Q+92C, Bhawanipur, Uttar Pradesh 244927, India
Lat 28.905769°
Long 78.988985°
02/01/24 12:57 PM GMT +05:30


Google

795

69



 GPS Map Camera



Hamirpur, Uttar Pradesh, India

WX7C+25V, Hamirpur, Uttar Pradesh 244927, India


Lat 28.911101°

Long 78.969301°

02/01/24 03:34 PM GMT +05:30

796

70



 GPS Map Camera

Karimpur Garbi, Uttar Pradesh, India


Unnamed Road, Karimpur Garbi, Uttar Pradesh 244927, India

Lat 28.869683°

Long 78.963701°

02/01/24 01:18 PM GMT +05:30

 Google



 GPS Map Camera

Milak Nagli, Uttar Pradesh, India
VXG2+M23, Milak Nagli, Uttar Pradesh 244927, India
Lat 28.877868°
Long 78.948894°
02/01/24 01:45 PM GMT +05:30



Google

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टा संचालकों के साथ की गयी बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन आज दिनांक 29.12.2023 को तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टे स्वामियों/प्रतिनिधि के साथ बैठक योजित की गयी। बैठक में तहसीलदार टाण्डा, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल तथा भट्टा स्वामी/प्रतिनिधि उपस्थित रहें। बैठक में निम्न अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित हुए:-

1. ए०एन०एस० ब्रिक वर्क्स रनुआनगला श्री संजय मो०नं० 8755411014
2. गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स मिलक नगली श्री दरयाब सिंह 9411288099,
3. हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) सरावा सैदनगर श्री मुरशद अली मो०नं० 9719657522
4. नाज ब्रिक वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड श्री बब्बू मो० नं० 6398236288
5. ओ०के०ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर श्री अनिल कुमार 9412135298,
6. राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर श्री रामकुवंर मो०नं० 9756450357 ।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 29.12.2023 को समय 11:00बजे बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी भट्टा स्वामी/प्रतिनिधियों को तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टे ए०एन०एस० ब्रिक वर्क्स रनुआनगला, गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स मिलक नगली, हमजा ब्रिक वर्क्स(नया नाम मुनसाद ब्रिक वर्क्स) सरावा सैदनगर, नाज ब्रिक वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड, ओ०के०ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर, राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स छितरिया जागीर के भट्टा स्वामियों/प्रतिनिधि कमशः श्री संजय मो०नं० 8755411014, श्री दरयाब सिंह 9411288099, श्री मुरशद अली मो०नं० 9719657522, श्री बब्बू मो० नं० 6398236288, श्री अनिल कुमार 9412135298, श्री रामकुवंर मो०नं० 9756450357 उपस्थित आये।

BRASHT



सभी सम्बन्धित को अवगत कराया कि उपरोक्त सभी ईट भट्टों पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया। जिस कारण सभी भट्टों का संचालन से बन्द रखने के स्पष्ट निर्देश मा० अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में सभी भट्टों का संचालन पूर्णतयः बन्द रखते हुए अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक खाता सं० 701502010002104 आई०एफ०एफ०सी० कोड यू०बी०आई०एन००५७०१५०(छायाप्रति सभी को उपलब्ध कराते हुए) में जमा करते हुए जमा साक्ष्य कार्यालय को अभिलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। धनराशि जमा न होने की दशा में अग्रिम कार्यवाही भी अमल में लाये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।


(अरुण कुमार)

उप जिलाधिकारी, टाण्डा,
रामपुर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी टाण्डा, जनपद-रामपुर।

पत्रांक ३३०६ / एस०टी०

दिनांक:- २९-१२-२३

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) महोदय रामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रभावी अनुश्रवण/निगरानी किये हेतु प्रेषित।
- 4-प्रभारी निरीक्षक को अनुपालनार्थ।
- 5-उपरोक्त भट्टा स्वामियों को अनुपालनार्थ।


उप जिलाधिकारी टाण्डा

रामपुर।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ईंट भट्टा संचालकों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षतिपूर्ति वसूली के दिये आदेश

वेलकम इंडिया, लईक सैफी

टांडा जिला रामपुर। नियम एवं मानकों के विपरीत ईंट भट्टों का संचालन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले तहसील क्षेत्र के छह ईंट भट्टा स्वामियों से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को उपजिलाधिकारी अरुण कुमार ने जिलाधिकारी के निर्देश पर हरित प्राधिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुपालन में सम्बंधित भट्टा स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें जुमाने की रकम शीघ्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने की हिदायत दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के मामले में तहसील क्षेत्र के छह भट्टा स्वामियों को नियमों के विपरीत भट्टों का संचालन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना गया।



एनजीटी के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तहसील क्षेत्र के ओके ब्रिक्स वर्क्स पर 4187500 रुपये जबकि शेष पर प्रति ईंट भट्टा 8437500 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली के आदेश दिए गए हैं।
- अरुण कुमार, एसडीएम टांडा

शुक्रवार को उपजिलाधिकारी अरुण कुमार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देशों का तत्काल अनुपालन कराए जाने के उद्देश्य से तहसील टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईंट भट्टे अनस ब्रिक्स वर्क्स रनुआनगला, गरीब नवाज ब्रिक्स वर्क्स मिलक नगली, हमजा ब्रिक्स वर्क्स (नया नाम मुनसाद ब्रिक्स वर्क्स) सरावा सैदनगर, नाज ब्रिक्स वर्क्स दर्शनपुर लालपुर रोड, ओ०के० ब्रिक्स वर्क्स

छितरिया जागीर, राशिद एण्ड राशिद ब्रिक्स वर्क्स छितरिया जागीर के भट्टा स्वामियों / प्रतिनिधियों संजय कुमार, दरयाब सिंह, मुरशद अली, बब्बू, अनिल कुमार और रामकुंवर के साथ तहसील मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर सम्बन्धितों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठों को कराया बंद संचालकों संग बैठक की



टांडा तहसील में ईट भट्टा स्वामियों की बैठक में निर्देश देते एसडीएम अरुण कुमार।

टांडा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बकाया धनराशि जमान करने पर भट्ठों के स्वामियों को कड़ी चेतावनी देते भट्ठों का संचालन बंद करा दिया है। उपजिलाधिकारी ने शुक्रवार को हुई बैठक में भट्टा संचालकों, स्वामियों से कहा कि वह निर्धारित समयानुसार राशि जमा करें ऐसा न करने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपजिलाधिकारी अरुण

कुमार ने क्षेत्रीय भट्टा स्वामियों व संचालकों से कहा कि वह जल्द ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बकाया राशि तुरंत जमा करें। वहीं बकाया राशि जमान करने पर आधा दर्जन से अधिक इट भट्टों को तहसील प्रशासन की ओर से बंद करा दिया गया है। उपजिलाधिकारी ने भट्टा संचालकों से सख्त लहजे में कहा कि बकाया राशि जमान करने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

मारपीट में

दहेज के लिए

उ० प्र० प्रदूषण निपटारा बोर्ड दे

R.3 = 92,81,250 + अन्य

आरोसी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

गाँव का अधिपत्र

SN

कम सं० :

सेवा में,

श्री M/S राज प्रिन्टिंग

2/M

927+

1

गाँव - दर्शनपुर तहसील - टाण्डा - रामपुर

जहाँ तक भू-राजस्व की वकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य वकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

उ० प्र० प्रदूषण निपटारा बोर्ड दे

R.3 = 92,81,250 + अन्य

जारी करने की तिथि 01.01.2024

मुहर

तहसीलदार टाण्डा (आफसेट)।

pensation
La. Kampu

n. National

Grade p
ed Divaric

m 31.3 of 1

PPB are t

ther throu

ng directl

the actio

y of 1 PP

120-7 V

to inform

e mentio

PPCB vi

500 - ag

covery of

of dues r

against the

housand E

Is Naaz I

dustry is

nd depa

1002104,

ucknow.

Yours S

Member

Member S

आर०सी० प्रपत्र-36

[दिखे नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

संख्या सं० :

सेवा में, राजपूर जिला

श्री. रामजी लाल शर्मा, वृ. जे. गुग्गुलु

राजपूर तहसील, राजपूर जिला, उत्तर प्रदेश

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में बसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।
 एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तारीखों के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उर्पाड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

राजपूर जिला, राजपूर तहसील, राजपूर जिला, उत्तर प्रदेश

जागी करने की तिथि : 01-01-2024

सूचना

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

श्री. रामजी लाल शर्मा, टाण्डा
जनपद-राजपूर

आरटीसी-प्रपत्र-36

[दिले नियम-141(3)]

योग कर अधिनियम

सं. सं.

सं. सं.

Handwritten signature and text

आपको सूचित किया जाता है कि इस नोटिस की तारीख के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर देना आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त कर का अर्थ न स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन अपीलनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

दिए अनुसार का विवरण

Handwritten text: 9281250 + 1500

आपको सूचित की तिथि: 01.01.2024

सं. सं.

आरटीसी-प्रपत्र-36
आरटीसी-प्रपत्र-36

उत्तर प्रदेश विधानसभा बोर्ड
देव धनराशि - 4606250-00

आर०सी० प्रपत्र-36

[दिखें नियम-141(3)]

मांग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री [M. S. Ok. विकीकरण विभाग] देव धनराशि

- जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तारीखी के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विस्तृत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अर्थात् उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देव धनराशि का विवरण उत्तर प्रदेश विधानसभा बोर्ड
देव धनराशि - 4606250-00

प्राप्ति करने की तिथि : 02/01/2024

मुख्य

(तहसीलदार के हस्ताक्षर) [Signature]

जनपद-रामपुर

म (आर०सी०/आफसेट)।

30.9.2024 मद्रास निगम
देव धनराशि - 988050-00

आर०सी० प्रपत्र-36

[दिसू नियम-141(3)]

मौग का अधिसूत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री M. S. राजिद एच. राजिद विकीटर्स
दिल्ली राजमार्ग 12/2/2024 - राजमार्ग

जहां तक सू-राजस्व की वकालत या सू-राजस्व के रूप में
वसूली योग्य वकालत आप से निम्न विवरणानुसार है।
एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की
तारीखी के 15 दिनों के भीतर जहाँतक वे चुकाकर कर दे
अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि उन्हें न
आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, 2006 के
अधीन अशुद्धनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देव धनराशि का विवरण

30.9.2024 मद्रास निगम के विरुद्ध देव

धनराशि = 988050-00

आगे करने की तिथि 02/10/2024

पुनः

(निर्देशित/अधीन)

(निर्देशित/अधीन)

BARBZ 23364614565
फॉर्म सं० 404



शाखा २२-१०१२
दिनांक ३०-१२-२०२३

| |
|---------------------------------|
| आधार शाखा : २२-१०१२ |
| खाता सं० : १०९९०२०००००१९८ |
| खाताधारक का नाम A.V.S. Bhalwani |

आरटीपीएस / एनईएफटी के पक्ष में :

| |
|-------------------------------------------|
| बैंक युनिफाइन बैंक ऑफ इंडिया |
| शाखा वि. मयरावण गोमती नगर लखनऊ |
| आईएफएस कोड UBIN0570150 |
| लाभार्थी का खाता सं० 701502010002104 |
| लाभार्थी के खाते का प्रकार : |
| लाभार्थी का नाम ३०९०९ दूषण नियंत्रण बोर्ड |

राशि (रु०)

| | |
|--------------------|---------|
| विप्रेषण की राशि : | २०००००० |
| विनिमय | |
| कुल | २०००००० |

राशि (शब्दों में) रुपये दो लाख



मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | जेसर्स ओ.के. ब्रिक् वर्क्स द्वितीय लॉरीर, धाना - टाण्डा, बामपुर । |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री चांद बाबू 09557722244 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण - | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पहाड़ी का कार्य रुक ईधन तथा कोयला लकड़ी का उपकरण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है । |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :

(डॉ० अतुल चौहान)

(आकाश लोशा) (जबर सिंह)

ज० अर० सुफ०
अ० उ० प्र० नि० अ० अ०

एल.
उ० उ० प्र० नि० अ० अ०

नरपाल
नरपाल - यण्डा

आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

(जयपाल सिंह)



(अक्षय अतल)

अ० अ० अ०
नरपाल - यण्डा

(नाथ ब नरपाल)

नरपाल - यण्डा

3
विभागाध्यक्ष
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टाण्डा (रा.उ.प्र.)



मैसर्स ओके ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

110 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मैसर्स राशिद एंजिनिअरिंग इंजीनियरिंग, बंगला - बंगला, रामपुर । |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री वाशिद अली 07966425338 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टे बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण - | ईट भट्टे में करीब 30 दिनों के पछाव का कार्य एवं ईंधन तथा कायला लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है । |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

(श्री अतुल चौहान) (श्री अ. क. जौशी) (श्री ब. वि.)
 ज. प्र. आ. र. उ. प्र. नि. बो. मु. रा. उ. प्र. नि. बो. मु. रा. नि. बो. मु. रा. नि. बो. मु. रा.

(श्री जयपाल सिंह)

(श्री अतुल चौहान)

ज. प्र. आ. र. उ. प्र. नि. बो. मु. रा.

नाम व त. प्र. नि. बो. मु. रा.

आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

उपनिरीक्षक
दाब्दा (रा. प्र.)



मैसर्स राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स, ग्राम छितरिया जागीर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मैसर्स जाल ब्रिक् वर्क्स थाना यन्त्र, दर्शनपुर, लालपुर रोड, राजपुर । |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | मो० अक्षय 09412587557 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण - | ईट भट्टे में कार्य ईटों की पधारण का कार्य शुरू किया गया लेकिन कार्यवाही का सुधारण नहीं पाया गया । ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है । |


हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :- (डा० अतुल चौहान) (आकाश जोशी) (सुगंध प्रताप)
मै. आर. एफ. (उ.प्र. प्र. नि. बो. मुं.) (उ.प्र. प्र. नि. बो. मुं.) (उ.प्र. प्र. नि. बो. मुं.)
तहसील - यन्त्र तहसील - यन्त्र तहसील - यन्त्र

(जसपाल सिंह)
आर. आर.
तहसील - यन्त्र

(अतुल अतुल)
नाथ ब तहसील नगर
तहसील - यन्त्र

(उपनिर्देशिका)
उपनिर्देशिका
दाण्डा (राजपुर)
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स नाज ब्रिक वर्क्स, ग्राम दरशनपुर, लालपुर रोड, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

महो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता मैसर्स मुशाफ़ ब्रिक बवर्स मैसर्स साबिर ब्रिक बवर्स | मैसर्स हमला ब्रिक बवर्स मुरादाबाद नगर, थाना - यण्डा रामपुर । |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री हरजमान सिंह (गार्ड) 7409713886 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण - | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पधार का कार्य खूब इधन सहा कमल मकड़ी का मउडारण नही पाया गया । ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है । |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :- (डा० अजुल चौहान) (आकाश जोशी) (गुट्टपाल सिंह)
जे० आर० एफ० एन० ए०
उ० प्र० प्र० नि० बो० मु० ए० एन० ए०
उ० प्र० प्र० नि० बो० मु० ए० एन० ए०
तहसील - यण्डा

मुरादाबाद
(अशोक सिंह)
आर० आर०
तहसील यण्डा

अशोक चौहान
(अकुर अतल)
नायब तहसीलदार
तहसील - यण्डा

आशोक चौहान
उ० प्र० प्र० नि० बो० मु० ए० एन० ए०
मुसादाबाद

गुट्टपाल सिंह
उपजिलाधिकारी
टाण्डा ()



मैसर्स हमजा ब्रिक वर्क्स, ग्राम सरावा सैदनगर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण
दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०प्र० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | जैसस गरीब मजाल मिलक नगली, परसूपुरा रौड, बाना - टांडा, रामपुर । |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री. कलन खान (गार्ड) 09411288099 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण अन्य विवरण - | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पधरी का कार्य रुकें ईंधन तथा कोयला लकड़ी का बंधारण नही पाया गया । ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है । |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

(श्री. अतुल चौहान) (श्री. अकश जोशी) (श्री. दीपक चौहान)
ज. आर. उ. प्र. वि. बो. गु. र. ल. उ. उ. प्र. वि. बो. गु. ल. र. व. म. ल. य. न. य. न.
(अकुर अतले)
नाथ व तदमील दार
तदमील - य. न. य. न.

(श्री. जयपाल सिंह)
आर. आई.
तदमील - य. न. य. न.

अशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

उपजिलाधिकारी
टांडा (रा. उ. प्र.)



मैसर्स गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स, ग्राम मिलक नगली, परसुपुरा रोड, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मैसर्स ए. एन. एम. ^{प्रिंक} व नर्स रानू जगला, मैद नगर, धाना-टांसा, रामपुर। |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02.01.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | मा० अब्दुल हसन / मा० आलम हसन 09758551573 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द पाया गया। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण - | ईट भट्टे में करारी ईटों की पधार का कार्य एवं ईंधन संधा कमला लकड़ी का संधारण नहीं पाया गया। ईट भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम : (डा० अब्दुल चौधरी)
ज० आर० एफ०
उ०प्र० प्र० नि०



(आकाश जोशी)
एल० ए०
उ०प्र० प्र० नि० की० मु०

(गीतमंद उल्ला)
ल० ए० ए०
त० ए० ल० - टांसा

(जयपाल सिंह)
आर० आई०
त० ए० ल० - यंसा

(अकुर अतल)
नाम व त० ए० ल० ए०
त० ए० ल० - यंसा
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रामपुर

(अजय)
सिपायलाधिकारी
टांसा (रामपुर)



मैसर्स ए0एन0एस0 ब्रिक वर्क्स, ग्राम रानु नगला, सैदनगर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

कार्यालय उप जिलाधिकारी मिलक रामपुर।

पत्रांक:- 1311 / एस0टी0
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
रामपुर।

दिनांक:-जनवरी 03, 2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1328/खनिज/2023=24 दिनांक 01.01.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त आदेश के अनुपालन में तहसील मिलक के जय श्री बालाजी ब्रिक इण्डस्ट्रीज जगन्नाथपुर, कुनाल ब्रिक वर्क्स क्रमचा व तहसील ब्रिक सेन्टर चैनपुर ईट भट्टों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी। जो निम्नवत् है।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वसूली हेतु सम्बन्धित ईट-भट्टा मालिकों के साथ बैठक:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा सम्बन्धित ईट भट्टों विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.12.2023 को तहसील मिलक के जय श्री बालाजी ब्रिक इण्डस्ट्रीज जगन्नाथपुर, कुनाल ब्रिक वर्क्स क्रमचा व तहसील ब्रिक सेन्टर चैनपुर के ईट भट्टा मालिकों के साथ एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें उक्त ईट भट्टों पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करने तथा सम्बन्धित संग्रह अमीन को क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये गये। उक्त बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

2. निरीक्षण:-

दिनांक 02.01.2024 को तहसील मिलक के ग्राम जगन्नाथपुर, क्रमचा तथा चैनपुर के ईट-भट्टों का अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार मिलक तथा नायब तहसीलदार मिलक व श्री अनिल कुमार, वैज्ञानिक सहायक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया। जो निम्नवत् है:-

जय श्री बालाजी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, जगन्नाथपुर।



उपरोक्त ईट-भट्टा का अधोहस्ताक्षरी तथा श्री अनिल कुमार वैज्ञानिक सहायक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पूर्व से बन्द पाया गया तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। ईट भट्टा पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट पकाने का काम नहीं हो रहा है। ईट पकाने की चिमनी बन्द पायी गयी। भट्टे पर लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। ईट भट्टा मालिक को भट्टा पूर्णतः बन्द रखने तथा किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के निर्देश दिये गये व क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने के आदेश दिये गये।

[Handwritten signature]
02/01/24
M.T.

[Handwritten signature]
02/01/24
तहसीलदार मिलक

[Handwritten signature]
उप जिलाधिकारी मिलक
चिवा (रायपुर)



उपरोक्त ईट-भट्टा का नायब तहसीलदार मिलक तथा श्री अनिल कुमार वैज्ञानिक सहायक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पूर्व से बन्द पाया गया तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। ईट भट्टा पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट पकाने का काम नहीं हो रहा है। ईट पकाने की चिमनी बन्द पायी गयी। भट्टे पर लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। ईट भट्टा मालिक को भट्टा पूर्णतः बन्द रखने तथा किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के निर्देश दिये गये व क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने के आदेश दिये गये।

आका ब्रिक सेन्टर(नया नाम-तहसीन ब्रिक सेन्टर, चैनपुर)



उपरोक्त ईट-भट्टा का तहसीलदार मिलक तथा नायब तहसीलदार मिलक व श्री अनिल कुमार वैज्ञानिक सहायक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पूर्व से बन्द पाया गया तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। ईट भट्टा पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट पकाने का काम नहीं हो रहा है। ईट पकाने की चिमनी बन्द पायी गयी। भट्टे पर लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। ईट भट्टा मालिक को भट्टा पूर्णतः बन्द रखने तथा किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के निर्देश दिये गये व क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने के आदेश दिये गये।

3. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वसूली सम्बन्धित कार्यवाही:-

सम्बन्धित ईट भट्टों पर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि हेतु जय श्री बालाजी ब्रिक इण्डस्ट्रीज जगन्नाथपुर को संख्या 01/तीन-सी०आर०ए० तथा कुनाल ब्रिक वर्क्स को संख्या 02/तीन-सी०आर०ए० व तहसीन ब्रिक सेन्टर को संख्या 03/तीन-सी०आर०ए० से आर०सी० जारी की गयी है तथा जिसके क्रम में दिनांक 01.01.2024 को सम्बन्धित तीनों ईट भट्टा मालिकों को उक्त धनराशि 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। उक्त धनराशि के वसूली हेतु लगातार प्रयास जारी है। (आर०सी० तथा नोटिस की प्रति संलग्न है)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(सीमा गुप्ता)
नायब तहसीलदार मिलक,
जनपद रामपुर।
02/01/2024

(राकेश कुमार)
तहसीलदार मिलक।
जनपद रामपुर।
02/01/24

(मोनिका सिंह)
उप जिलाधिकारी मिलक
जनपद रामपुर।
02/01/2024

कार्यालय उप जिलाधिकारी मिलक, जनपद रामपुर।

पत्रांक 1311/एस0टी0/2024

दिनांक: 03 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी निरीक्षक थाना मिलक को इस निर्देश कि उक्त ईट भट्टों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करे तथा समस्त स्तर से अग्रिम आदेश होने तक सम्बन्धित ईट भट्टों को प्रत्येक दशा में बन्द रखवाना सुनिश्चित करे।

 Sh. 02/01/2024
उप जिलाधिकारी मिलक,
जनपद रामपुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में वसूली हेतु तहसील मिलक के ईट-भट्टा स्वामियों के साथ बैठक का कार्यवृत्त।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय, रामपुर के पत्रांक: 1313/खनिज /2023-24 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित तहसील मिलक के ईट-भट्टा स्वामियों एवं क्षेत्रीय संग्रह अमीन के साथ बैठक की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत है:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक थाना मिलक।
- 2- श्री वेदप्रकाश संग्रह अमीन।
- 3- श्री त्रिवेनी सिंह, संग्रह अमीन।
- 4- श्री उमेन्द्र कुमार, संग्रह अमीन।
- 5- श्री बब्लू पाण्डेय, प्रो0 कुनाल ब्रिक वर्क्स, क्रमचा।
- 6- श्री ओमप्रकाश, जय श्री बालाजी ब्रिक इन्डस्ट्रीज, जगन्नाथपुर।
- 7- श्री जफर, तहसीनी ब्रिक सेन्टर, चैनपुर।



➤ सर्वप्रथम बैठक में संग्रह अमीन एवं ईट-भट्टा स्वामियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 से अवगत कराया गया।

➤ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संबंधित ईट-भट्टों के विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में बैठक में उपस्थित ईट-भट्टा स्वामियों से क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने एवं किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के आदेश दिए गए।

जय श्री बालाजी ब्रिक इन्डस्ट्रीज, जगन्नाथपुर।

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी के पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। बैठक के दौरान भट्टा स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संग्रह अमीन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि रू0 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं0 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

(Handwritten signature)

कुनाल ब्रिक वर्क्स, क्रमचा।

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी श्री बब्लू पाण्डेय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। बैठक के दौरान भट्टा स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संग्रह अमीन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि ₹० 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं० 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

तहसीली ब्रिक सेन्टर, चैनपुर।

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी बैठक में अनुपस्थित रहे। ईट-भट्टा मुंशी श्री जफर द्वारा बताया गया कि किसी कार्य से बाहर गए हैं। बैठक के दौरान भट्टा मुंशी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संग्रह अमीन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि ₹० 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं० 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

संबंधित संग्रह अमीनों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। यदि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिकूल संज्ञान लिया जाता है, तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तदनसार बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

उप जिलाधिकारी मिलक,
जिला रामपुर।


कार्यालय उप जिलाधिकारी मिलक, जनपद रामपुर।

पत्रांक 1294/एस०टी०/2023

दिनांक: 29, दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) महोदय, रामपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु तहसील मिलक में उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति/वसूली की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
4. संबंधित लेखपाल/संग्रह अमीन, तहसील मिलक को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित ईट-भट्टा स्वामियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।


उप जिलाधिकारी मिलक,
जनपद रामपुर।



उत्तर 826 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या 810-17052/35 C-7 Vividh-613 Jettu Yadav Rampur 2023

दिनांक 21/12/23

Regd.

To:
The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Jay Sri Balaji Brick Industries, Jagannathpur, Milak, Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions:

".....10. If we accept the submission of Shri Praleep Mishra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

Further, please refer to H.O. letter No. 1192012/C-7, Vividh-613 Jettu Yadav Rampur/EC 2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500/- (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Jay Sri Balaji Brick Industries, Jagannathpur, Milak, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Noni Ram

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code: UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

| | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750/- |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 9281250/- |

Yours Sincerely,

Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

Member Secretary

01/सौ.सी.आर.ए.

द्वारा मिलक

भू-राजस्व की भांति बसूल करें।

कृते कलेक्टर

रामपुर

01-1-24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@ppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

10/6/23 W.B. S.

कृते द.क.आ.अ.ब.स.की कक्षा

20/01/2024

आर0सी0-प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

क्रम सं० :

पेवा में,

श्री श्री ०. जयश्री बालाजी वि. क. इण्डिया

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।
एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

9281250 -/-

जारी करने की तिथि : 01/01/24

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

तहसीलदार

मि. प्र. प्र.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

102

संख्या १०-१७८५२/३६-८-७ Vaidh-613 Jeetu Yadav Rampur 2023

दिनांक - २५/१२/२३

To,
The Collector,
Rampur

Recd.

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Kunal Brick Works, Krimeha, Milak, Rampur

While its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions:

".....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

Further, please refer to H.O. letter No. 1192012/C-7/Vaidh-613 Jeetu Yadav Rampur EC 2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500/- (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Kunal Brick Works, Krimeha, Milak, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Parshuram saran

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

| | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750/- |
| 3. Total Amount (1+ 2) | ₹ 9281250/- |

Yours Sincerely,

Member Secretary

Member Secretary

CC: Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

१/तीन-सी०आर०ए०

मिलक

राजस्व की भांति बसूल करें।

कलेक्टर

रामपुर

०१-१-२५

आर०सी० प्रपत्र-36

[दिखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

.. क्रम सं० :

सेवा में,

श्री ... श्री ० कुशल विरू बन्सी

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

92 0/250/-

जारी करने की तिथि : 01/01/24

मुहर

(तहसीलदार/अ. कर्ताक्षर)

(डी०टी०पी०) कर्ताक्षर



830
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य सं०- / आदेश सं०-7/Vividh-613/Jectu Yadav/Rampur/2023

दिनांक- 01/11/23

To,

Recd.

The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on
M/s Aaka Brick Centre (New Name - Tehsin Brick Centre), Chainpur, Milak,
Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions:

.....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now.....

Further, please refer to H.O. letter No. H92012/C-7/Vividh-613/Jectu Yadav/Rampur/EC/2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500/- (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Aaka Brick Centre (New Name - Tehsin Brick Centre), Chainpur, Milak, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Dilshad Ahmad

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750/- |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 9281250/- |

Yours Sincerely,

Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

सैन-सी०आर०ए०

मिलक

राजस्व की भांति वसूल करें।

रूप कलेक्टर

सम्पूर

01-1-24

पत्र-36
[दिवे नियम-141(3)]

मांग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री श्री. लक्ष्मी न किउ सेंटर

गाँव - चैनपुर

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देव है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस के तारीख के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान का प्रमाण उपस्थित होकर जमा स्वीकृत करें अन्यथा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण : 9281250/-

जारी करने की तिथि : 01/01/24

मुहर 
(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

तहसीलदार
निचर /

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मैं आका खिग सेक्टर (नया नाम- वहसीन खिग सेक्टर) ग्राम - चैनपुर मिलक रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-24 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | लोकेश (फोन) 9568073869 फिलशाह अहमद (फोन) 761966399 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण/अन्य विवरण | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की प्याई का कार्य एवं ईंधन तथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टा में उत्पादन कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

(अमित कुमार)
02/01/24
र. अ.

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

(अमित कुमार)
वेबसाइट
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

(रमेश कुमार-च०डी)
02/01/2024
तहसीलदार, मिलक
शमपुर

(अमित कुमार)
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स अक्का ब्रिक सेन्टर (नया नाम तहसीन ब्रिक सेन्टर), ग्राम चैनपुर, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मै. जयश्री वाला जी विंग इण्डस्ट्रीज ग्राम जगन्नाथपुर मिला न रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-24 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री सुशील कुमार शर्मा - मोनीराम 8006010987 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | इस समय बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण | इस भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य एवं ईंधन तथा गोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। इस भट्टे में उत्पादन कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

02.01.24
S.A.
(सुशील कुमार)
वसुधैव कुटुम्बकम्
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

02/01/2024
SDM(M)

उप जिलाधिकारी
मिलक, रामपुर

आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स जयश्री बाला जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, ग्राम जगन्नाथपुर, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के निरीक्षण
दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | श्री. कुनाल प्रिय कठरी, ग्राम क्रम-या मिलक रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो0 नं0 | श्री. बल्लू पाण्डे (डोर) 9412153741 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण/अन्य विवरण | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाई का कार्य स्व. इंदर तथा कोयला, लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। ईट भट्टा में अस्पादन कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

Arul
02-01-24


निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

डा. आशीष चौहान
(आशीष कुमार)
प्रेम 0 सुधा 0
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

Arul
02/01/2024
र (म)
(शरदेश कुमार कठरी)
महसीलदार, मिलक-
रामपुर

Arul
आशीष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स कुनाल ब्रिक वर्क्स, ग्राम कमचा, तहसील मिलक, जनपद रामपुर के निरीक्षण
दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिलासपुर जनपद रामपुर।

पत्रांक: 2535/एसटी0

दिनांक: 03 जनवरी, 2024

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),

रामपुर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक: 1313/खनिज /2023-24 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित तहसील बिलासपुर के ईट-भट्टा स्वामियों एवं क्षेत्रीय लेखपाल/संग्रह अमीन के साथ दिनांक 29.12.2023 को बैठक की गयी थी, जिसके दौरान उपस्थित लेखपाल/संग्रह अमीन एवं ईट-भट्टा स्वामियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 से अवगत कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संबंधित ईट-भट्टों के विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की यथाशीघ्र वसूली किए जाने के निदेश दिए गए एवं किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के निर्देश बैठक में दिए गए थे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त ईट-भट्टों का संचालन पूर्व से बन्द पाया गया।

उक्त के अनुक्रम में पुनः स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 को प्रदूषण विभाग की टीम के साथ पुनः संबंधित ईट-भट्टों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील बिलासपुर में संलग्न सूची के अनुसार ईट भट्टे (1) प्रो0 कुबरा ब्रिक फील्ड, पजाबा (2) प्रो0 शान ब्रिक फील्ड(इण्डिया ब्रिक इण्डो), अण्डखेडी (3) गुरुनानक ब्रिक वर्क्स (ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड), नरसुआ (4) न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी का संचालन बन्द पाया गया अर्थात् उक्त ईट-भट्टों पर कोई कच्ची ईटों का पथायी कार्य एवं लकड़ी, कोयले आदि का भण्डार नहीं पाया गया, कार्यालय भी बन्द पाया गया एवं ईट भट्टा संचालक मौके से फरार पाए गए।



(Handwritten signature)

संबंधित संग्रह अमीनों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 02.01.2024 को सम्बन्धित ईट भट्टो के विरुद्ध वसूली हेतु आर0सी0 प्रपत्र-36 दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त हो चुकी है, जिनका साईटेशन/नोटिस संबंधित को जारी किया जा चुका है तथा राजस्व संहिता पर दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 03.01.2023 तक मांग-पत्र के सापेक्ष कोई वसूली नहीं हो पायी है। इस स्तर से वांछित वसूली किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी ईट-भट्टों का संचालन बन्द रखने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।



(निश्चय कुमार)
तहसीलदार
बिलासपुर



(हिमांशु उपध्याय)
उप जिलाधिकारी,
बिलासपुर।

114

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 840 दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में वसूली हेतु तहसील बिलासपुर के ईट-भट्टा स्वामियों के साथ बैठक का कार्यवृत्त।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय, रागपुर के पत्रांक: 1313/खनिज /2023-24 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित तहसील बिलासपुर के ईट-भट्टा स्वामियों एवं क्षेत्रीय लेखपाल/संग्रह अमीन के साथ बैठक की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत है:-

- 1- श्री कमलकान्त, लेखपाल पजावा।
- 2- श्री मुरारी लाल, संग्रह अमीन, पजावा।
- 3- श्री केविन्द्र सिंह, लेखपाल, अण्डखेड़ी।
- 4- श्री सुधीर पाल, संग्रह अमीन।
- 5- श्री सत्यप्रकाश, लेखपाल।
- 6- श्री सुबोध तिवारी, संग्रह अमीन।
- 7- श्री अब्दुल कलाम, प्रो0 कुवरा ब्रिक फील्ड, पजावा।
- 8- श्री आफाक अहमद, प्रो0 शान ब्रिक फील्ड(इण्डिया ब्रिक इण्ड0), अण्डखेड़ी।
- 9- गुरुनानक ब्रिक वर्क्स (ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड), नरसुआ-अनुपस्थित।
- 10-न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी - अनुपस्थित।



➤ सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित लेखपाल/संग्रह अमीन एवं ईट-भट्टा स्वामियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022, जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रा0नि0 बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 से अवगत कराया गया।

➤ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संबंधित ईट-भट्टों के विरुद्ध पूर्व में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में बैठक में उपस्थित ईट-भट्टा स्वामियों से क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने एवं किसी भी दशा में भट्टा संचालन न किए जाने के आदेश दिए गए।

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी श्री अब्दुल कलाम द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। बैठक के दौरान भट्टा स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संग्रह अमीन एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि रू० 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं० 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

प्रो० शान ब्रिक फील्ड(इण्डिया ब्रिक इण्डो), अण्डखेडी।

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी श्री आफाक अहमद द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन पूर्णतः बन्द है। बैठक के दौरान भट्टा स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराए जाने का आश्वासन दिया गया। संग्रह अमीन एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि रू० 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं० 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

गुरुनानक ब्रिक वर्क्स (ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड), नरसुआ

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी बैठक में अनुपस्थित रहे। बताया गया कि किसी कार्य से बाहर गए हैं। संग्रह अमीन एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि रू० 84,37,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं० 701502010002104 में जमा कराते हुए जमा रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी

उपरोक्त ईट-भट्टा स्वामी बैठक में अनुपस्थित रहे। संग्रह अमीन एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन का अनुपालन कराते हुए ईट-भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है तथा वर्तमान में ईट-भट्टा संचालन बन्द है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि उक्त भट्टे पर आरोपित पर्यावरणीय क्षति की धनराशि रू० 41,87,500/- की वसूली एक सप्ताह के भीतर करते हुए उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं०

701502010002104 में जमा कराते हुए 842 रसीद सहित आख्या प्रस्तुत की जाए।

संबंधित संग्रह अमीनों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। यदि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिकूल संज्ञान लिया जाता है, तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



(निश्चय कुमार)
तहसीलदार,
बिलासपुर।

कार्यालय तहसीलदार, बिलासपुर, जनपद रामपुर।

पत्रांक /रा0लि0 /2023

दिनांक: दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय रामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय, रामपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु तहसील बिलासपुर में उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति/वसूली की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
4. संबंधित लेखपाल/संग्रह अमीन, तहसील बिलासपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित ईट-भट्टा स्वामियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।



तहसीलदार,
बिलासपुर।

117
 प्रा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नं० 843/2022 में विचाराधीन ओ०सं०
 सं० 889/2022, जीव यावत वनाम उपप्र० प्रा०ने० बोर्ड में जादित मोडरे
 के क्रम में बैठक दिनांक 29.12.2023 की उपस्थिति ।

| सं० | नाम | ईट भट्टे का नाम | पता | हस्ताक्षर |
|-----|---------------|-----------------------------------------|--------|---------------|
| | अरुण लाल | श्री अरुण लाल | पंजाब | श्री अरुण लाल |
| | श्री अरुण लाल | श्री अरुण लाल | पंजाब | श्री अरुण लाल |
| | | गुरु नानक डिवाइस लॉ एंड शक्ति डिवाइस | नरसुभा | अनुपस्थित । |
| | | नरसुभा । पु. कांस्टिगुड डिवाइस | जदपुरी | अनुपस्थित |
| | | | | |


 Tech (S)

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

भौग का अधिपत्र

तम सं०

सेवा में,

श्री. Butta Singh c/o Mrs Gurnu Nanak
Book works, Village Narsara, Dist. Jalandhar

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के साथ
दसुली योग्य बकाया आप में निम्न विवरणानुसार देय है -
एतद्वारा आपमें अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस -
कार्यावली में 15 दिनों के भीतर कार्यालय में भुगतान कर
अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों व आपकी
विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन
उपरोक्त कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

Provisional Due is ₹ 12,81,250.00

जारी करने की तिथि

02/01/2024

मुख्य

(आर०सी०/आय के सहायक)

उहसीलद

3

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

गाँव का अधिपत्र

1. क्रम सं० : 119 कोहीनूर ग्राम पंचायत
2. ज़ादा खतौनी : ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत
3. ग्राम : पट्टपुरी
4. परगना : विलासपुर
5. बकायदार का नाम : सुलफिया अहमद 10 नम्बू कोहीनूर
6. बकाय की रकम और दिनांक : 4606250-00 दिनांक 02-01-2024
7. निम्न लेख की तिथि : 02-01-2024
8. आदेशिका तारीख/कलम का नाम : सुलफिया अहमद
9. तारीख की तिथि : 02-01-2024
10. संशुद्धि
11. टिप्पणियाँ

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

02/01/24
वास्तविक ब्राकी मनीस के हस्ताक्षर

02-01-2024
तहसीलदार के हस्ताक्षर

पी०सी० प्र० (आ० प्र०) ०४० मूलेख 26-10-2016-43800 (डी० प्र० प्र०/आ० प्र०)

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

गाँव का अधिपत्र

1. क्रम सं० : 119 नम्बू कोहीनूर ग्राम पंचायत
2. ज़ादा खतौनी : ग्राम पट्टपुरी ग्राम पंचायत - विलासपुर
3. ग्राम : पट्टपुरी
4. परगना : विलासपुर
5. बकायदार का नाम : सुलफिया अहमद 10 नम्बू कोहीनूर
6. बकाय की रकम और दिनांक : 4606250-00 दिनांक 02-01-2024
7. निम्न लेख की तिथि : 02-01-2024
8. आदेशिका तारीख/कलम का नाम : सुलफिया अहमद
9. तारीख की तिथि : 02-01-2024
10. संशुद्धि
11. टिप्पणियाँ

देखें धनराशि का विवरण

रकम - 4606250-00

जारी करने की तिथि 02-01-2024

मुहर
तहसीलदार के हस्ताक्षर 02-01-2024
तहसीलदार
विलासपुर

120

VIVO T2X
Jan 3, 2024, 18:38

आपका पता
[Handwritten Address]

आपका पता
[Handwritten Address]

- 1. नाम
- 2. पता
- 3. पता
- 4. पता
- 5. पता
- 6. पता
- 7. पता
- 8. पता
- 9. पता
- 10. पता
- 11. पता
- 12. पता
- 13. पता

मि. [Handwritten Name]
[Handwritten Address]
[Handwritten City]
[Handwritten State]
[Handwritten Zip]

आपका पता [Handwritten Address]

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

भौग का अधिवत्र

सं. सं.

सं. सं.

श्री Butta Singh c/o Mrs Gurnu Nanak
Brick Works - Village Narsura, Jalandhar

यहां तक मृ-राजस्व की कक्षा का मृ-राजस्व के रूप में
वसुली योग्य कहाया आप = निम्न विवरणानुसार है :-
एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस अधिसूचना के
जारी होने के 15 दिनों के भीतर राजस्व के मूल्यांकन का
अवकाश उपस्थित होकर सामान स्पष्ट करें कि जो मूल्यांकन
विवरण उत्तर प्रदेश राजस्व सचिवालय, 2006 के अधीन
नियमित/अनियमित कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

देय वसुली का विवरण

Perturbation Duty ₹ 12,81,250.00

भुगतान करने की तिथि

02/01/2024

सूचना

(संश्लेषण के अनुसार)

[Handwritten Signature]
उपस्थित

123
गुरुनाथ सिंह वरदा (सोन गीव शाकल बिक मीन्ड) नरसुआ ।

849



GPS Map Camera

Narsua Zadid, Uttar Pradesh, India

Unnamed Road, Narsua Zadid, Uttar Pradesh 244923, India

Lat 28.773731°

Long 79.369762°

02/01/24 05:27 PM GMT +05:30

Google

कुर्बत खिड मीरुड
पजवा

850



 **GPS Map Camera**
Pajawa, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Pajawa, Uttar Pradesh 244921, India
Lat 28.851728°
Long 79.211173°
02/01/24 03:27 PM GMT +05:30

ਮੁ ਕੀਟਿਮਰ-ਗਿਰਜਾ ਜੀਲਾ. ਪਦਧੁਰੀ



शान लीड फील्ड - (कॉलेजिग प्रिन्स स्कोल)

आंगवर्दी

126

852



GPS Map Camera

Chak Pheri, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Chak Pheri, Uttar Pradesh 244921, India
Lat 28.973206°
Long 79.286868°
02/01/24 04:16 PM GMT +05:30

Google

मेलका

ग्राम बरुआ में एक बूंग सिद्ध १०
 बुनासकं कि वसके तलासकामे पर
 अष्टा कद मिला। अष्टे या ल्वेइ अ
 वेकि न मिला। अतः गोरुन की
 रूप अष्टे पांचादि का वीगपी।
 एका मे रिपोर पठाटे।

२०/२५
 लक्ष्मण सिंह
 बरुआ

अनाजना.

19/5 न्यू जोड़ू कि फेल्ड-ग्राम फेल्ड
 में जोड़ू पर आकर देखा लेकिन फस पर
 कोई व्यक्ति नहीं मिला इसी कारण
 ने दखलाने पर-कस्य कर दिया गया है
 वंद ~~दी~~ रिपोर्ट सफा में पत्र है।



23/5/2024

गोदम,

वाकान्द्र अटल पर ल गिला मने को कलण

मां संक ८/० म संक शान विक फील्ड

शाम डाण्ड टंकी तहसील विलासपुर

सा विशेष चरपा कर देया गया

दिपा ट सेका सेवा के पत्र

गुणल एनी
02/01/2023



857/31

बिलासपुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं-145089/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/2023

दिनांक:- 02/01/24

Regd.

To,
The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Shan Brick Field (New name - India Brick Ind.), Andkheri, Bilaspur, Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

".....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

Further, please refer to H.O. letter No. H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500/- (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Shan Brick Field (New name - India Brick Ind.), Andkheri, Bilaspur, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:
1. Moh. Saif C/o M/s Shan Brick Field (New name - India Brick Ind.), Andkheri, Bilaspur, Rampur

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750/- |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 9281250/- |

सदस्य

तहसीलदार

यनाया भू-राजस्व की भांति बसूल करें।

Yours Sincerely,

Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

रामपुर

02-1-24

Member Secretary

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

न सं० :

सेवा में,

श्री श्री० सेफ्टी एंड माइनिंग इंजीनियरिंग

ग्राम उन्डरेकी तहसील बिलासपुर

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

एतद्वारा देय (₹) 92,01,250

जारी करने की तिथि : 02/01/24

मुहर तहसीलदार

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

बिलासपुर

गौदग,

वाकादरु अरुदर ल गिला मने ल कलण

मां संफ C/O मैसर्स मान लिंक फील्ड

शाम् छाण्ड र्कडी लक्ष्मी ल विलासपु

सा इतिशो चश्या कर दिमा रागा

दिगा र सेवा सेवा पैसा

मुहल्ला एम
02/01/2023

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | में० शान प्रिंक पील्ड (नया नाम - इण्डिया प्रिंक इण्डस्ट्रीज) ग्राम - अंड खेरी किलासपुर रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-24 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | मो० सैम (9759676440) 506 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण | ईट भट्टे से कच्ची ईटों की धुलाई का काम एवं इंधन तथा बौधला लकड़ी का अण्डारन नहीं पाया गया। ईट भट्टा से उत्पादन का कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-



Anil K
02-01-24
S. A.

(अनिल कुमार)
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
मुरादाबाद

02-01-2024
Tewari

(निश्चय कुमार)
तहसीलदार, किलासपुर
रामपुर

अशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स शान ब्रिक वर्क्स (नया नाम मैसर्स इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज), ग्राम अंडखेरी, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | मै० - गुरु नानक ब्रिज वर्कर्स (पूर्व नाम - डोम शिव शक्ति क्रिा पील्स) ग्राम - नखुशा जिलासपुर, रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-23 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | श्री बुटा सिंह (मो०) 9837322555 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण | ईट भट्टे में कच्ची ईटों का पथाई का कार्य एवं ईंधन तथा कोयला, लकड़ी का भण्डारन नहीं पाया गया। ईट भट्टा में उत्पादन का कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

Anil Kumar
02-01-24
S.A.
(आनिल कुमार)
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
मुरादाबाद

Tehsil
02-01-2024
Teh (S)
(निश्चय कुमार)
तहसीलदार, जिलासपुर
रामपुर

[Signature]
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स गुरु नानक ब्रिक वर्क्स (पूर्व नाम मैसर्स ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड), ग्राम नरसुआ, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | में कुलटा ब्रिक फील्ड (नमा नाम - सादाव ब्रिक फील्ड व पूर्व नाम मोमिन ब्रिक वर्क्स) ग्राम - पाजवा बिलासपुर राभपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-24 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | अतर सिंह (चौकीदार) |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट भट्टा बन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण। अन्य विवरण | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पचाई का कार्य एवं ईटान तथा कोयला, लकड़ी का गण्डारण नयी पाया गया। ईट भट्टा में उत्पादन कार्य बन्द है। |

हस्ताक्षर :-

Anish
02-01-24


निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

S.A.
(अनिल कुमार)
305030 नि०वा०
भुरादाबाद

Anish
02-01-2024

(अतर सिंह)
(निश्चय कुमार)
तख्तवाली लडाई, बिलासपुर
राभपुर

Anish
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भुरादाबाद



मैसर्स कुबरा ब्रिक फील्ड (नया नाम मैसर्स शादाब ब्रिक फील्ड एवं पूर्व नाम मैसर्स मोमीन ब्रिक वर्क्स),
ग्राम पाजवा, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता | श्री. ब्यू मोहिनूर बिन भीरु, ग्राम- पद्मपुरी, विलासपुर रामपुर |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 02-01-24 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो० नं० | जमिल अहमद (मुंशी) 8534997274 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | रि गराकन्द है। |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण। अन्य विवरण | ईट भट्टे में कच्ची ईटों की पथाईका कार्य एवं ईंधन यथा सौरा, लकड़ी का प्रणालण नहीं पाया गया। ईट भट्टा में उत्पादन का कार्य बन्द है। |



हस्ताक्षर :-

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

Abul K
02-01-24
S.A.
(अजित कुमार)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

02-01-2024
Teh (0)
(निश्चय कुमार)
कस्बेदार, विलासपुर
रामपुर


आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद



मैसर्स न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, ग्राम पदपुरी, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

कार्यालय उपजिलाधिकारी, शाहबाद जनपद रामपुर

पत्रांक 773 / एस0टी0

दिनांक:- 02/01

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 स 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बंध में।

जिलाधिकारी
रामपुर।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के क्रम सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच 03511/सी-7/विविध-597/023 दिनांक 01.12.2023 आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1736/एन0-13/889/2022/जनरल दिनांक 17.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन कराते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 18.12.2023 को आदेश के अनुपालन हेतु प्रभारी निरीक्षक शाहबाद एवम सैफनी को पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 18.12.2023 को ही संदर्भित भट्टों का स्थलीय निरीक्षण नायब तहसीलदार शाहबाद से कराया गया, जिसमें भट्टे बंद पाये गये, जिसकी आख्या पत्रांक 389/एस0टी0 दिनांक 21.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी महोदय रामपुर को प्रेषित की गयी। दिनांक 29.12.2023 को भट्टा संचालकों की बैठक तहसील सभागार में आहुत की गयी। जिसमें भट्टा बन्द रखने एवम सक्षम अधिकारियों के आदेश के बिना बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 29.12.2023 को बैठक का कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय रामपुर को प्रेषित किया गया। 29.12.2023 के बैठक के सम्बंध में दैनिक जागरण समाचार पत्र व हिन्दुस्तान एवम अमर उजाला समाचार पत्रों में 30.12.2023 को समाचार प्रकाशित हुए है। तहसील शाहबाद क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित ईट भट्टों की जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों एवं नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार शाहबाद द्वारा दिनांक 02.01.2024 को करायी गयी, सन्दर्भित भट्टे बन्द पाये गये। तहसील शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 12 भट्टों में से 3 की आर0सी0 दिनांक 01.01.2024 प्राप्त हुई है। जिसमें वसूली हेतु साइटेशन दिनांक 01.01.2024 को जारी किया जा चुका है। शेष 9 बसूली प्रमाण पत्र दिनांक 2.01.2024 को प्राप्त हुई है जिसमें सभी को साइटेशन दिनांक 02.1.2024 जारी कर दिया गया है।

स्थलीय निरीक्षण में समस्त संदर्भित 12 भट्टों का संचालन बंद पाया गया है एवम बंद भट्टों का संचालन बंद रखने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


उप जिलाधिकारी,
शाहबाद (रामपुर)

पत्रांक/दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


उप जिलाधिकारी,
शाहबाद (रामपुर)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सम्बन्धित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या

निरीक्षण दिनांक :- 02.01.2024

जनपद- रामपुर

तहसील :- शाहबाद

869

143

| क्र.सं० | ईट भट्टे का नाम | पता | भट्टा स्वामी का नाम | मो०नं० | तहसील | जनपद | भट्टे की वर्तमान स्थिति | अभियुक्ति |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वक्स) | देवीपुरा रोड बड़ागांव | श्री प्रमोद कुमार शर्मा | 9758779551 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 2 | फेमस त्रिक वक्स (नया नाम खाजा त्रिक वक्स) | खरसौल | श्री जाबिर अली | 9027567911 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 3 | जगदम्बे त्रिक वक्स | गहनी | श्री सुधीश कुमार | 7500799356 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 4 | खान त्रिक वक्स | वलपूरा | श्री बसीम अहमद | 992777787 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |

ABHAY
JLA

143

निरीक्षण दि 02.01.2024

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | हिदायत त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुशीद विक फील्ड) | ककरौआ | श्री नईम अहमद | 7310742423 | शाहबाद | रामपुर | ईट भटठा बन्द है। ईट भटठे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) | ककरौआ | श्री फुरकान पाशा | 9719561462 | शाहबाद | रामपुर | ईट भटठा बन्द है। ईट भटठे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 7 | फार्नर त्रिक इन्डस्ट्रीज | करीमगंज | श्री आरिफ मियां | 9068416750 | शाहबाद | रामपुर | ईट भटठा बन्द है। ईट भटठे पर ईट भटठा संचालन सम्बन्धी गतिविधियां होती नहीं पायी गयी। |  |
| 8 | के0के0 त्रिक वर्क्स रोड | ढकिया रोड | श्री राशिद खां | 9412871791 | शाहबाद | रामपुर | ईट भटठा बन्द है। ईट भटठे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |

ABRMS
JLA

CP

4

नुरी भली कली। गा वं। डा।


भट्टा स्वामियों को जल्द देनी होगी जुर्माने की राशि

बैठक

शाहबाद, संवाददाता। भट्टा स्वामियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि (प्रदूषण पर जुर्माना) उन्हें जल्द अदा करनी होगी। बारह ईंट भट्टों पर कई-कई लाख रुपए का जुर्माना रोपित किया गया था।

शाहबाद के ऐसे बारह ईंट भट्टे सूची में शामिल हैं। शाहबाद के एसडीएम सुनील कुमार प्रथम ने बताया कि अप्रैल 2023 में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने भट्टों का निरीक्षण किया था। इसमें जिले के छव्वीस ईंट भट्टे प्रदूषण बोर्ड के नियम का पालन करते नहीं मिले थे। इनमें शाहबाद के बारह ईंट भट्टे शामिल थे।

इन पर जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि चालीस से अस्सी लाख रुपए तक होने के चलते भट्टा स्वामियों ने अदायगी नहीं की। इस पर 21 दिसंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ने दो सप्ताह के भीतर जुर्माना वसूली के आदेश दिए थे। साथ ही यह भी



शाहबाद तहसील के सभागार में ईंट भट्टा स्वामियों के साथ बैठक करते एसडीएम।

12

ईंट भट्टों पर कई लाख रुपए का जुर्माना रोपित किया गया था।

- जिले के 26 ईंट भट्टे प्रदूषण बोर्ड के नियम का पालन करते नहीं मिले
- 21 दिसंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जुर्माना वसूली के आदेश दिए थे

किस पर कितना बकाया

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| अमन ईंट उद्योग देवीपुरा रोड बड़ा गांव | - 8437500/- |
| फेगस ब्रिक वर्क्स खरसोल | - 8437500/- |
| जगदय्ये ब्रिक वर्क्स, गहनी शाहबाद | - 5875000/- |
| खान ब्रिक वर्क्स बलुपुरा, शाहबाद | - 8437500/- |
| हिदायत ब्रिक फील्ड सिरौली, शाहबाद | - 8437500/- |
| भारत ब्रिक वर्क्स कंकरौला, शाहबाद | - 8437500/- |
| फार्मर ब्रिक इंडस्ट्रीज करीमगंज, शाहबाद | - 4187500/- |
| के.के. ब्रिक वर्क्स ढकिया रोड शाहबाद | - 5875000/- |
| उमेश ब्रिक वर्क्स चौकोनी, शाहबाद | - 8437500/- |
| पवन ब्रिक वर्क्स बलुपुरा शाहबाद | - 8437500/- |
| कादरी ब्रिक फील्ड, सुहाबा शाहबाद | - 5875000/- |
| शबाना ब्रिक फील्ड, सैफनी शाहबाद | - 5250000/- |

निर्देश थे कि वे भट्टे किसी भी हाल में संचालित न होने पाएं। लेकिन जुर्माना नहीं भरा गया। इस पर शुक्रवार को एसडीएम ने संबंधित भट्टा स्वामियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए।

शाहबाद के बारह ईंट भट्टों पर कुल मिलाकर साढ़े आठ करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माना राशि बकाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से सख्ती किए जाने के बाद भट्टा स्वामियों के होश उड़े हुए हैं।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, शाहबाद जनपद रामपुर।

पत्रांक 146(1)/एस0टी0

दिनांक :- 18/12/2023

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अनय में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में के संबंध में।

प्रभारी निरीक्षक,

थाना- शाहबाद/सैफनी।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच 03511/सी-7/विविध-597/023 दिनांक 01.12.2023 एवं कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रामपुर के पत्रांक संख्या 1736/एन0-13/889/2022/जनरल दिनांक 17.12.2023 संदर्भ ग्रहण करे (छायाप्रति संलग्न है)।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उक्त प्रपत्रों की छायाप्रतियां तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन की दशा में कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 3 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी,
शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, रामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

उप जिलाधिकारी,
शाहबाद (रामपुर)

उपजिलाधिकारी
शाहबाद, रामपुर।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी रामपुर के पत्र सं० 1736/V-13/883/2022/ जनरल दिनांक 12.12.2023 के क्रम में पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टो के संचालन की स्थिति व संचालन की दशा में कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं तत्क्रम पत्र दिनांक 12.12.2023 के साथ संलग्न सूची में अंकित निम्न लिखित 12 ईट भट्टो का आज दिनांक 18.12.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया ।

| क्र०सं० | ईट भट्टे का नाम | पता | तहसील | जनपद |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | अमन ईट उद्योग (नया नाम-न्यू राज त्रिक वर्क्स) | देवीपुरा रोड बड़ागांव | शाहबाद | रामपुर |
| 2 | फेमस त्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा त्रिक वर्क्स) | खरसौल | शाहबाद | रामपुर |
| 3 | जगदम्बे त्रिक वर्क्स | गहनी | शाहबाद | रामपुर |
| 4 | खान त्रिक वर्क्स | वलूपुरा | शाहबाद | रामपुर |
| 5 | हिदाया त्रिक फील्ड (पुराना नाम खुर्शीद विक फील्ड) | ककरौआ | शाहबाद | रामपुर |
| 6 | भारत त्रिक वर्क्स (पुराना नाम आसाम त्रिक वर्क्स) | ककरौआ | शाहबाद | रामपुर |
| 7 | फार्मर त्रिक इन्डस्ट्रीज | करीमगंज | शाहबाद | रामपुर |
| 8 | के०के० त्रिक वर्क्स | ढकिया रोड | शाहबाद | रामपुर |
| 9 | उमेश त्रिक वर्क्स | चौकोनी | शाहबाद | रामपुर |
| 10 | पवन त्रिक वर्क्स | वलुपुरा | शाहबाद | रामपुर |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड | सुहावा | शाहबाद | रामपुर |
| 12 | शवाना त्रिक फील्ड | सैफनी | शाहबाद | रामपुर |

निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सभी ईट भट्टो में फुँकाई आदि का कार्य पूर्णतः बन्द पाया गया।

स्थलीय फोटोग्राफ सहित आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।
संलग्नक- यथोपरि ।


(अरविन्द कुमार)
नायब तहसीलदार
शाहबाद, रामपुर।

उ०उ० निष्पन्नता बोर्ड

आर०सी० प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री श्री अमन सिंह उद्योग

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तारीखी के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पाड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

य धनराशि का विवरण 928/250-4

री करने की तिथि : 01-01-2024

र

(इसीलियार के हस्ताक्षर)
तहसीलदार
शाहबाद



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

श्री १५३

150

सदम सं- 110/27/35 (7-Vividh-613 Jeetu Yadav Rampur 2023)

दिनांक:- 29/12/23

Regd.

To,
The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Famous Brick Works (New name - Khwaja Brick works), Kharsaul, Shahbad, Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions:

".....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrate of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

A.D.M (F/R)/M's
श्री १५३
कार्रवाई करें
०३
२९.१२.२०२३

Further, please refer to H.O. letter No. 1192012/C-7/Vividh-613 Jeetu Yadav Rampur/EC/2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500 - (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Famous Brick Works (New name - Khwaja Brick works), Kharsaul, Shahbad, Rampur.

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Jabir Ali

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's account No. 701502010002104, IFSC Code- UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500 - |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750 - |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 9281250 - |

Yours Sincerely,

Member Secretary

(CC)-Regional Officer, UPPCB, Moradabad

Member Secretary

संख्या ०१ /सोन-सी-आर-१००
तहसीलदार शाहबाद
बकाया भू-राजस्व की भाँति वसूल करें।

T C/127, Vibhuti Khand Geneti Nagar, Lucknow -- 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

कलेक्टर
रामपुर
०१-१-२४

उ० छ० प्रपत्र नं० ३६

आर०सी० प्रपत्र-36

[दिखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री श्री ० कैमल विक्रम वकाल (बाराणसी)

श्री ० नाथ - १ बकाला विक्रम वकाल (बाराणसी)

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण 9281250/-

गारी करने की तिथि : 01.11.2024

मुहर

तहसीलदार के हस्ताक्षर)
तहसीलदार
शाहवादा



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

152

संदर्भ सं०- 17052 35 C-7 Vividh-613 Jeetu Yadav Rampur 2023

दिनांक:- 24.12.23

Regd.

To,

The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Jagdambe Brick Works, Gehni, Shahbad, Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions:

".....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

Further, please refer to H.O. letter No. 1192012/C-7/Vividh-613 Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 5875000/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.I. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 5875000/- (₹ Fifty Eight Lakh Seventy Five Thousand Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Jagdambe Brick Works, Gehni, Shahbad, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:

1. Sudhish Kumar

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

| | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 5875000/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 87500/- |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 5962500/- |

Yours Sincerely,

Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720328, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संख्या 03/तौन-सी.आर.ए.

तहसीलदार शाहबाद

बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल करें।

कृते कलेक्टर

रामपुर

01-1-24

D.M(FR)/M.D

रामपुर 31/12/23

गर्भवती करी

D.M

29.12.2023

धरणीपत्र

आर0सी0-प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री जगदिव दिकवर्कत गेहनी

एड० शाहमाद जगदिव शिमशेर
जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तारीखी के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण 6462500-/-

ए० ए० प्रदुषर्ग डि० गौड

जारी करने की तिथि : 01-01-2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

तहसीलदार
शाहमाद

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4/39/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

शबाना ब्रिक फील्डसैफनी शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 5250000/—(बावन लाख पचास हजार रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 5250000/—(बावन लाख पचास हजार रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रातेलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

। कपी धारण की


01-01-2024

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4129/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

फैमस ब्रिक वर्क्स(नया नाम—ख्वाजा ब्रिक वर्क्स)खरसौल शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।



तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

9917838029

1/1/24

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4136/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उमेश ब्रिक वर्क्सचौकोनी शाहबाद रामपुर।


कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 30/12/23
तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।


0126572353

तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4134/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

फारमर ब्रिक इंडस्ट्रीजकरीम गंज शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 4187500/- (इक्तालिस लाख सतासी हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड **UBIN 0570150** में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपय 4187500/- (इक्तालिस लाख सतासी हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।


तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4128/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मै0 अमन ईंट उद्योग(नया नाम-न्यू राज त्रिक वक्सी)देवीपुरा रोड, बड़ा गांव शाहबाद, रामपुर

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईंट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रंह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

निम्नजाहदों के लाभने-गैरिलकी
एक जगह भट्टे के आफिस पर चर्चा करती
गई है। भट्टे भालक बाहर रहते हैं।
सेवा रिपोर्ट देगई।

साभपालासिंह
30/12/23

तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

Rampraj Singh Mankhi ji

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4130/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कादरी ब्रिक फील्डसुहावा शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/- (अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपय) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/- (अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपय) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

30/12/23
तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रंह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

राम प्रति प्रादा

दि 30/12/23

दिलशाद पुत्र सु-य. रंका

महेयम

महेश्वर राम दिलशाद पुत्र सु-य. रंका
निवासी तहसील शाहबाद जिला रामपुर
दस्तावेज संख्या 10/2024

01/01/2024

तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4130/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

जगदम्बे ब्रिक वर्क्स,गहनी शाहाबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/- (अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपये की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/- (अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रंह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

रूपये 5875000/-

30/12/23

30/12/23

30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4135/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

के0के0 ब्रिक वर्क्स

ढकिया रोड शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईंट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/—(अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड **UBIN 0570150** में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 5875000/—(अठ्ठावन लाख पिछहत्तर हजार रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रंह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4133/रा0ले0

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

भारत ब्रिक वर्क्स**(पुराना नाम—असम ब्रिक वर्क्स)****ककरौआ शाहबाद रामपुर।**

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईंट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपय 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपय) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपय) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4132/रा0ले0


दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

हिदाया ब्रिक फील्ड(पुराना नाम—खुर्शीद ब्रिक फील्ड)ककरौआ सिरौली शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023--24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपय 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड **UBIN 0570150** में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:--क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनाथं एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।


तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4131/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

खान ब्रिक वर्क्सबल्लूपुरा शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपय 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/—(चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

30/12/23
तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

कार्यालय तहसीलदार शाहबाद रामपुर।

पत्रांक 4137/रा0ले0

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2023

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

पवन ब्रिक वर्क्सबल्लपुरा शाहबाद रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) रामपुर के पत्र संख्या 1313/खनिज/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अर्न्तगत क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आपके ईटं भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड **UBIN 0570150** में जमा कराकर अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 8437500/- (चौरासी लाख सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

प्रतिलिपि:--क्षेत्रीय नायब तहसीलदार/क्षेत्रीय सग्रंह अमीन को अनुपालनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

30/12/23

तहसीलदार

शाहबाद (रामपुर)

3050 पृष्ठ नियत नंबर 892
 धनराशि 84375004 रु
 आर0सी0 प्रपत्र-36
 [देखें नियम-141(3)]
 माँग का अधिपत्र

3050 पृष्ठ नियत नंबर 166
 84375004 रु
 आर0सी0 प्रपत्र-36
 [देखें नियम-141(3)]
 माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : चौकनी 2118005
4. परगना : 2118015
5. बकायेदार का नाम उमेश प्रियंका
6. बकाये की रकम और तिथि 84375004
7. निर्गत होने की तिथि : 2-1-2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम उमेश प्रियंका
9. तामील की तिथि : 17-1-2024
10. अभ्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ :

- क्रम सं० :
 - सेवा में,
 - श्री उमेश प्रियंका चौकनी
 - तहसील 2118005 2118015
- जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DB

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

देय धनराशि का विवरण

3050 पृष्ठ नियत नंबर 166

84375004 रु

जारी करने की तिथि

2-1-2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

आर०सी० प्रपत्र-36
[देखें नियम-141(3)] शहूराभा
माँग का अधिपत्र सं० अमीन

आर०सी० प्रपत्र-36 शहूराभा
[देखें नियम-141(3)] सं० अमीन
माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : ककरौआ शाहवाड़
4. परगना : शाहवाड़
5. बकायेदार का नाम : आरत सिंह बकरी
6. बकाये की रकम और किस्त : (पुराना नाम असुर सिंह बकरी) 8437500+अ०
7. निर्गत होने की तिथि : 2-01-2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम : शहूराभा सं० अमीन
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अभ्युक्तियाँ :
11. टिप्पणियाँ :

क्रम सं० :
सेवा में,

श्री आरत सिंह बकरी ककरौआ शाहवाड़ (पुराना नाम असुर सिंह बकरी)

जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DM

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

देय धनराशि का विवरण

पुद्दुछठा 8437500+अ०

जारी करने की तिथि : 02/01/2024

मुहर
(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

३० प्रपत्र निकाशकॉड
 क्रमसं 8437500+अन
 आर0सी0 प्रपत्र-36
 [देखें नियम-141(3)] शजूअमी
 माँग का अधिपत्र सं0अमी

३० प्रपत्र निकाशकॉड
 क्रमसं 8437500+अन
 आर0सी0 प्रपत्र-36 शजूअमी
 [देखें नियम-141(3)] सं0अमी
 माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं०
2. खाता खतौनी
3. ग्राम ककरौआ शाहजाद
4. परगना शाहजाद
5. बकायेदार का नाम हिदिधा विक फील्ड
6. बकाये की रकम और किस्त : 45000/8437500+अन
7. निर्गत होने की तिथि 02-01-2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम शजूअमी
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अभ्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ

1. क्रम सं०
 2. खाता खतौनी
 3. ग्राम ककरौआ शाहजाद
 4. परगना शाहजाद
 5. बकायेदार का नाम हिदिधा विक फील्ड
 6. बकाये की रकम और किस्त : 45000/8437500+अन
 7. निर्गत होने की तिथि 02-01-2024
 8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम शजूअमी
 9. तामील की तिथि : 17/01/2024
 10. अभ्युक्तियाँ
 11. टिप्पणियाँ
- जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामिली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DIM

मासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

देय धनराशि का विवरण

45000/8437500+अन

जारी करने की तिथि 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)

उ० प्र० उद्घरण नियम-141(3) काड

धनराशि 4187500+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

उ० प्र० उद्घरण नियम-141(3)

धनराशि 4187500+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : करीमगंज
4. परगना : शाहवाड़
5. बकायेदार का नाम फ़ारुज़ वि० ३०५०
6. बकाये की रकम और किस्त करीमगंज
उद्घरण 4187500+अन्य
7. निगंत होने की तिथि 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम अरुणराज एन
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अभ्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ :

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

D/w

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी०टी०पी०/आफसेट)।

1. क्रम सं० :
2. सेवा में, श्री फ़ारुज़ वि० ३०५०
3. करीमगंज
4. शाहवाड़
5. जहाँ तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

उद्घरण 4187500+अन्य

जारी करने की तिथि 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

[Signature]

[Stamp]

३०३० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
धनराशि 8437500+अ-य
आर0सी0 प्रपत्र-36
[देखें नियम-141(3)] शोराजीसिंह
साहू अश्री
माँग का अधिपत्र

३०३० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
धनराशि 8437500+अ-य
आर0सी0 प्रपत्र-36
[देखें नियम-141(3)] शोराजीसिंह
साहू अश्री
माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : बलपुरा
4. परगना साहवाड़
5. बकायेदार का नाम : खान विक्रम वर्मा
6. बकाये की रकम और किस्त : बलपुरा
प्रदूषण 8437500+अ-य
7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम : शोराजीसिंह
साहू अश्री
9. तामील की तिथि : 17.01-2024
10. अभ्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री खान विक्रम वर्मा

बलपुरा साहवाड़

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।
एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

प्रदूषण 8437500+अ-य

जारी करने की तिथि : 02-01-2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

सासिल बाका नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

10एस0यू0पी0 (आर0आर0)-011 भूलख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)।

30 30 32 501 14 201 415

धनराशि 52,50,000+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : सैफरी
4. परगना शाहवाड़
5. बकायेदार का नाम शाहना विष्णु जीवर
6. बकाये की रकम और किस्त : सैफरी
प्रमाण 52,50,000+अन्य
7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम डॉ. खालु
सं. अमीन
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अम्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DM

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

आर0सी0पी0 (आर0आर0)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)।

30 30 32 501 14 201 415

धनराशि 52,50,000+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
 2. खाता खतौनी :
 3. ग्राम : सैफरी
 4. परगना शाहवाड़
 5. बकायेदार का नाम शाहना विष्णु जीवर
 6. बकाये की रकम और किस्त : सैफरी
प्रमाण 52,50,000+अन्य
 7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
 8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम डॉ. खालु
सं. अमीन
 9. तामील की तिथि : 17/01/2024
 10. अम्युक्तियाँ
 11. टिप्पणियाँ
- जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीडनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

प्रमाण 52,50,000+अन्यजारी करने की तिथि : 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

डॉ. खालु

प्रदत्त निचला बोर्ड
धनराशि 5875000+अ-घ

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)] राजश्व
सं0 अश्री
माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं0 :
2. घाला खतौनी :
3. ग्राम : किफाराड शाहवाड
4. परगना : शाहवाड
5. बकायेदार का नाम : के0 के0 विक्रम पकस
6. बकाये की रकम और किस्त :
7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम : राजश्वी सं0 अश्री
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अभ्यक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

[Signature]

वासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

तहसीलदार
शाहवाड (राजश्व)

104स0यू0पी0 (आर0आर0)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)

30 30 55 55 17 47 11
धनराशि 58750004

आर0सी0 प्रपत्र-36 राजश्व

[देखें नियम-141(3)] सं0 अश्री
माँग का अधिपत्र

- क्रम सं0 :
- सेवा में,
श्री के0 के0 विक्रम पकस
किफाराड शाहवाड
- जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

प्रदत्त 5875000+अ-घ

जारी करने की तिथि 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

तहसीलदार

शाहवाड (राजश्व)

शुद्ध धनराशि 8437500+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[दिखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : बलपुरा
4. परगना शाहप्राद
5. बकायेदार का नाम पवन विक्रम वर्मा
6. बकाये की रकम और किस्त : शुद्ध धन 8437500+अन्य
7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम श्रीमती अमिता
9. तामील की तिथि : सं० अमिता
10. अभ्युक्तियाँ 17/01/2024
11. टिप्पणियाँ :

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DM

दासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

तहसीलदार
शाहप्राद (राजपुर)

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)।

धनराशि 8437500+अन्य

आर0सी0 प्रपत्र-36

[दिखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

- क्रम सं० :
- सेवा में,
- श्री पवन विक्रम वर्मा
- ग्राम बलपुरा शाहप्राद
- जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

शुद्ध धन 8437500+अन्य

जारी करने की तिथि 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

30.30 प्रदूषण नियंत्रण कांड
धनराशि 5875000+31-4

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र सं० अमीन

1. क्रम सं० :
2. खाता खतौनी :
3. ग्राम : सुधावा
4. परगना : आखावा
5. बकायेदार का नाम : कादरी विक्रमील
6. बकाये की रकम और किस्त : 5875,000+31-4
7. निर्गत होने की तिथि : 02/01/2024
8. आदेशिका तामीलकर्ता का नाम : अमीन
9. तामील की तिथि : 17/01/2024
10. अभ्युक्तियाँ
11. टिप्पणियाँ :

प्रमाणित किया जाता है कि लेखों का विवरण सही है।

DB

बासिल बाकी नवीस के हस्ताक्षर

तहसीलदार के हस्ताक्षर

तहसीलदार
आखावा (राजपुर)

आर0सी0पी0 (आर0आर0)-011 भूलेख 17-8-2020-6,40,650 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफसेट)।

धनराशि + 5875000+

आर0सी0 प्रपत्र-36

[देखें नियम-141(3)]

माँग का अधिपत्र

क्रम सं० :

सेवा में,

श्री कादरी विक्रमील

ग्राम सुधावा आखावा

जुहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

5875000+31-4

जारी करने की तिथि : 02/01/2024

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर।

पत्रांक 3500/एस0टी0

दिनांक:—जनवरी, 03 2024

विषय:— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1313/ख0लि0 दिनांक 28.12.2023 व 1325/खनिज/2023-24 दिनांक 01.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में आच्छादित दोषी भट्टे जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी होने व वर्णित 26 भट्टों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

तत्कम में अवगत कराना है कि दिनांक 29.12.2023 को तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दोषी भट्ट Raja Brick Works (Old Name SS Brick World and Khwaja Garib Nawaz Ind) के प्रोपराईटर साहिबा खान पत्नी मौहम्मद फारूख निवासी ज्वालानगर क पति मौहम्मद फारूख (राजा) के साथ तहसील मुख्यालय पर बैठक योजित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (धनराशि 84,37,500/-) को उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड के यूनियन बैंक खाता 701502010002104 आई0एफ0एफ0सी0 कोड यू.बी.आई.एन.0570150 में जमा कराने हेतु पत्र प्राप्त कराया गया जिसके क्रम में प्रोपराईटर के पति द्वारा 07 दिवसों में उक्त धनराशि जमा करने हेतु आश्वासन दिया गया है। (बैठक उपस्थिति पत्र संलग्न)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु पुनः दिनांक 02.01.2024 को तहसीलदार सदर द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद के सदस्य, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के साथ उक्त ईट भट्टे का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त ईट भट्टा का संचालन बन्द है। ईट भट्टे के संचालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:—

| क्र0 सं0 | ईट भट्टा का नाम व पता | ईट भट्टा मालिक का नाम व मो0नं0 | ग्राम | तहसील | जनपद | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Raja Brick Works (Old Name SS Brick World and Khwaja Garib Nawaz Ind) | मौ0 फारूख, मौ0 रउफ मौ0 7819954403 | मेंहदीनगर र जनूबी | सदर | रामपुर | ईट भट्टे में कच्ची ईट की पथाई का कार्य एवं यथा कोयला, लकड़ी इत्यादि का भण्डारण नहीं पाया गया। उक्त ईट भट्टा वर्तमान समय में संचालित नहीं है। मौके पर बन्द है। |

संयुक्त आख्या संलग्न है।

इसके अतिरिक्त महोदय को अवगत कराना है कि दिनांक 02.01.2024 को सदस्य सचिव महोदय के संदर्भ संख्या- 1705089/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/2023 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में दिनांक 02.01.2024 को ही साइटेशन जारी कर बकाएदार को तामील करा दिया गया है। (संलग्नक साइटेशन)

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

(जगमोहन गुप्ता)

उप जिलाधिकारी, सदर

रामपुर।

पत्रांक /एस0टी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी रामपुर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी

सदर, रामपुर।

आरटीओ प्रमाणित Receipt 043750-
[दिये नियम-141(3)]
श्रीग का अधिकार

पत्र 9281250 -

कम सं०

पत्र सं०

तहसीलदार महार

को

स्वामी लक्ष्मण शंकर राणा प्रिन्सिपल कार्ड
मे हन्के मजदूर लक्ष्मण शंकर राणा

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के बारे में
बसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।
पत्रद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की
तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दे
अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपकी
विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व भण्डा, 2006 के अधीन
उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

9281250 -

जारी करने की तिथि

21/8/24

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर)

तहसीलदार
महर, रामपुर

आज दिनांक 29.12.2023 को कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज-अनुभाग), रामपुर के पत्रांक 1313/खजिन/2023-24 दिनांक 28.12.2023 के अनुपालन में Raja brick works (old name SS brick Works and Khwaja Garib Nawaz ind.) mehandi nagar janubi, milak nibbi singh sadar Rampur के प्रोपराईटर साहिबा खान पत्नी मौहम्मद फारुख निवासी ज्वालानगर के पति मौहम्मद फारुख (राजा) तहसीलदार कक्ष में उपस्थित होकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.12.2023 में पारित आदेश के अन्तर्गत उक्त ईट-भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (धनराशि 84,37,500/-) की वसूली हेतु पत्र प्राप्त कराया गया। जिसके क्रम में प्रोपराईटर के पति द्वारा 07 दिवसों में उक्त धनराशि जमा करने हेतु आश्वासन दिया गया है।


4.


KAWAN
29.12.23


29.12.2023

9027840018


29/12/2023
Tehsil



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
905
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

179

संदर्भ सं-1405089 /C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/2023

दिनांक:- 02/01/24
Regd.

To,
The Collector,
Rampur

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind), Mehndi Nagar, Junubi/ Milak Nibbi Singh, Sadar, Rampur

Vide its order dated 21-12-2023 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

".....10. If we accept the submission of Shri Pradeep Misra that the communication sent by Member Secretary, UPPCB to the concerned District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha are orders under Section 31A of the Air Act, then for non-compliance of the said order the competent officers of UPPCB are required to take action under Section 37 of the Air Act. In both the eventualities, either through issuance of recovery certificate by the competent officer of UPPCB or issuing direction in terms of Section 31A of Air Act, if there is an inaction by the authorities then the action is required to be taken in terms of provisions noted above by competent authority of UPPCB which they have failed to take till now....."

Further, please refer to H.O. letter No. H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023 dated 15-04-2023 on the above subject. It is to inform you that vide letter dated 10-02-2023 UPPCB has issued closure against the above mentioned unit under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. UPPCB vide letter dated 15-04-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 8437500/- against the unit. UPPCB vide letter dated 23-11-2023 has issued letter to you for recovery of the imposed Environmental Compensation under the U.P. Public Money Recovery of dues (Amendment) Act, 1972. The recovery of the imposed Environmental Compensation against the unit has not been done till date.

The sum of ₹ 8437500/- (₹ Eighty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind), Mehndi Nagar, Junubi/ Milak Nibbi Singh, Sadar, Rampur

The Name and Address of the Owner/ Directors of the concerned industry is as follows:
1. fahad Khan C/o M/s Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind), Mehndi Nagar, Junubi/ Milak Nibbi Singh, Sadar, Rampur

You are hereby requested to recover the same as land revenue and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No. 701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow. The cost of the proceedings if any shall be recovered in addition.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Amount to be recovered | ₹ 8437500/- |
| 2. Cost of the Proceedings | ₹ 843750/- |
| 3. Total Amount (1 + 2) | ₹ 9281250/- |


Yours Sincerely,


Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Moradabad.

Member Secretary





Mehdi Nagar Janoobi, Uttar Pradesh, India
 Jolpur Rd, Mehdi Nagar Janoobi, Uttar Pradesh, 244901, India
 Lat 28.729264°
 Long 78.991857°
 02/01/24 05:01 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), रामपुर।

पत्रांक-1325/खनिज/2023-24

दिनांक:- 01 जनवरी, 2024

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. सगस्त उप जिलाधिकारी, रामपुर
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
3. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, रामपुर।

कृपया उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 11050-32 दिनांक 29.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजा जा रहा है जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद रामपुर के अन्तर्गत आच्छादित दोषी भट्टे जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किया जा चुका है, का संचालन रोके जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या मुख्यालय को दिनांक 05.01.2024 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि वर्णित 26 ईट भट्टों के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 02.01.2024 की सायं 4:00 बजे तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुपालन आख्या सदस्य सचिव महोदय को प्रेषित की जा सके। प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सम्बन्धित है, अतएव प्राथमिकता एवं आपकी सजगता व समयबद्धता अपेक्षित है।

2024
03/1/24

(हेम सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), रामपुर।

पत्रांक-1313 / खनिज / 2023-24

दिनांक:-28 दिसम्बर, 2023

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

समस्त तहसीलदार (स्वार को छोड़कर),
रामपुर।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0एन0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्र0नि0बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, रामपुर के पत्रांक 1738 दिनांक 12.12.2023 के अन्तर्गत जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित 26 ईट भट्टों की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी गयी थी कि इनका संचालन किसी भी दशा में न होने पाये और सूची में वर्णित भट्टा स्वामियों से बकाया धनराशि नियमानुसार वसूल करने की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के क्रम में आपके माध्यम से प्राप्त आख्या दिनांक 21.12.2023 से अवगत कराया गया है कि वर्णित 26 ईट भट्टे पूर्व से बंद हैं तथा वर्तमान में भी इनका संचालन नहीं हो रहा है, परन्तु उनके विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.12.2023 में पारित आदेश के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि उक्त ईट भट्टों का संचालन नहीं होने पाये तथा उनके विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कराते हुए 2 सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत 26 ईट भट्टों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची पुनः संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि समस्त ईट भट्टा स्वामियों के साथ बैठक कर उनसे नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC CODE UBIN 0570150 में जमा कराकर अवगत कराये ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सके। उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी प्रतिकूल आदेश की दशा में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

(हेम सिंह) 28.12.2023

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि समस्त उप जिलाधिकारी (स्वार को छोड़कर) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार अपने पर्यवेक्षण में समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि संबंधित तहसीलदार से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली की कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रामपुर।

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के संबंध में ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

| | | |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ईट भट्टे का नाम व पता थाना - परतई | मैसर्स राजा ब्रिक वर्क्स, पुराना नाम (मैसर्स एम. एस. ब्रिक वर्क्स) एवं मैसर्स चक्वाला गरीब नवाज, मैसर्स नगर, लुनीवी, मीलक निवा पिंड, रामपुर । |
| 2 | निरीक्षण का तिथि | 02.1.2024 |
| 3 | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम व मो0 नं0 | मौ. फारुख 09022840018 |
| 4 | ईट भट्टे की संचालन की स्थिति | ईट मरदा बन्द पाया गया । |
| 5 | ईट भट्टे के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण / अन्य विवरण | ईट मरदा में करण ईट की पधर का कार्य एवं ईट मरदा को मरदा लकड़ी का अडारण नही पाया गया । ईट मरदा में उत्पादन कार्य बन्द है । |

हस्ताक्षर :-


निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम :-

(डा. अनुज चौहान)
ज. डार. एफ
उ. प्र. प्र. नि. वी. मु. य.

(आ. का. ए. जी. ए.)
एल. ए.
उ. प्र. प्र. नि. वी. मु.

(क. क. चौरसिया)
न. ए. म. ल. 612
न. ए. म. ल. - स. ए. र.

आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुराबाबाद




मैसर्स राजा ब्रिक वर्क्स (पुराना नाम मैसर्स एस0एस0 ब्रिक वर्क्स एवं मैसर्स ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स),
 ग्राम मेंहदीनगर जुनेबी, मिलक निब्बी सिंह, रामपुर के निरीक्षण दिनांक 02.01.2024
 के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

BARUZ 23364614565
फॉर्म सं० 404

912

Annexo 5

186



शाखा सैद-1012
दिनांक 30-12-2023

| |
|--------------------------------|
| आधार शाखा : सैद-1012 |
| खाता सं० : 10990200000198 |
| खाताधारक का नाम A.V.S. BICKWER |

आरटीसीएस / एनईएफटी-के पक्ष में :

| |
|-------------------------------------------|
| बैंक यूनियन व्यंक ऑफ इण्डिया |
| शाखा विमयरवण्ड गोमती नगर लखनऊ |
| आईएफएस कोड UBIN0570150 |
| लाभार्थी का खाता सं० 701502010002104 |
| लाभार्थी के खाते का प्रकार : |
| लाभार्थी का नाम 30909 दूषण नियंत्रण बोर्ड |

राशि (रु०)

| | |
|--------------------|---------|
| विप्रेषण की राशि : | 2000000 |
| विनिमय | |
| कुल | 2000000 |

राशि (शब्दों में) रुपये दो लाख

रुपये दो लाख

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | उमेश त्रिक वर्क्स | चौकोनी | श्री राजपाल यादव | 6396353961 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 10 | पवन त्रिक वर्क्स | वलुपुरा | श्री कलीम खां | 9798645522 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 11 | कादरी त्रिक फील्ड | सुहावा | श्री दिलशाद खां | 9891146829 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |
| 12 | शवाना त्रिक फील्ड | सैफनी | श्री राजू चौधरी | 8218371402 | शाहबाद | रामपुर | ईट भट्टा बन्द है। ईट भट्टे पर कच्ची ईटों की पथाई का कार्य होता नहीं पाया गया, तथा लकड़ी, कोयले का भंडारण नहीं पाया गया। |  |

आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
मुरादाबाद उ०प्र० प्रदूषण नि०बोर्ड मुरादाबाद

केशव
02/01/24
(ए०के० शुक्ला)
एल०ए०
उ०प्र० प्रदूषण नि०बोर्ड मुरादाबाद

(अरविन्द कुमार शर्मा)
नायब तहसीलदार,
शाहबाद (रामपुर)

2/12/24
(शिकेश कुमार सोनी)
तहसीलदार
शाहबाद (रामपुर)

187

अगर जमाना दिने 30.12.2023

914

188

पालन होता है, लेकिन काग्रस

12 ईट भट्ठा संचालकों से वसूले जाएंगे आठ करोड़



ईट भट्टा संचालकों के साथ बैठक करते एसडीएम। संवाद

शाहबाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना संचालित 12 ईट-भट्ठों पर आठ करोड़ 14 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने को वसूल करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने शाहबाद के 12 ईट भट्ठा संचालकों पर एक साल पहले जुर्माना लगाते हुए नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन ईट-भट्ठा संचालकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।

इसी संबंध में एसडीएम सुनील कुमार और तहसीलदार राकेश कुमार सोनी ने शाहबाद के समस्त ईट भट्ठा संचालकों को बुला लिया। सभी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आए हुए आदेश को कार्रवाई को अमल में लाने के लिए कहा।

इस दौरान सभी 12 ईट-भट्ठा संचालकों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माना भरने के लिए निर्देश दिए हैं। एसडीएम सुनील कुमार ने बताया कि बारह ईट भट्ठों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। संवाद

शा
में
गए
पैर
रेफ
गांव
साप
ठेल
सात
रहे
टक्
का
एंभु
गया
कर
दू
निवा
बिच
एक
में गं
सीए
कर